(41) पर्यटन विभाग

पर्यटन विभाग अंतर्गत राजकीय विभाग/निदेशालय तथा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के रूप में दोहरी व्यवस्था विद्यमान है। पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0 के समय कदाचित केवल राजकीय विभाग की व्यवस्था विद्यमान थी परन्तु उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 (2004 में संशोधित) के अंतर्गत उत्तराखण्ड विकास परिषद का गठन किया गया है। साथ ही गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमायूं मण्डल विकास निगम भी पर्यटन सम्बन्धी क्रिया कलाप कर रहे हैं।

दिनांक 01 अप्रैल, 2016 की स्थिति अनुसार पर्यटन विभाग (राजकीय) तथा पर्यटन विकास परिषद में पदों की स्थिति निम्नानुसार सूचित की गई है:–

पर्यटन विभाग

क्र.	पद विवरण	ग्रेड वेतन	सृजित	कार्यरत	रिक्त
1.	अपर निदेशक	ग्रेड वेतन 8700	01	–	01
2.	संयुक्त निदेशक	7600	01	01	–
3.	उप निदेशक	6600	03	03	–
4.	वरिष्ठ शोध अधि0	6600	01	–	01
5.	शोध अधिकारी	5400	01	01	–
6.	जिला पर्यटन विकास अधि0/क्षेत्रीय पर्यटन अधि0	5400	04	–	04
7.	व0प्रशा0 अधि0	4800	01	01	–
8.	प्रशा0 अधि0	4600	08	08	–
9.	संख्या सहायक	4600	01	–	01
10.	आशुलिपिक	4200	01	–	01
11.	लेखाकार	4200	01	01	–
12.	पर्यटक अधिकारी	4200	03	–	03
13.	प्रधान सहायक	4200	07	06	01
14.	सहा0 लेखाकार	2800	08	06	02
15.	सहा0 पर्यटक अधिकारी	2800	05	02	03
16.	वरिष्ठ सहायक	2800	12	06	06
17.	आशुलिपिक	2400	01	–	01
18.	स्वागती	2400	08	05	03
19.	आशुलिपिक	2400	01	–	01

20.	कनिष्ठ सहायक	2000	08	05	03
21.	सहा0 स्वागती	1900	04	01	03
22.	चालक ग्रेड 1, 2, 3, 4	4600, 4200, 2800, 2000	08	04	04
23.	अन्य चतुर्थ श्रेणी	1800	28	18	10
	योग		115	67	48

पर्यटन विकास परिषद

क्र.	पद विवरण	वेतन विवरण	सृजित	कार्यरत	रिक्त
1.	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी	भा0प्रशा0 सेवा संवर्ग	01	01	–
2.	निदेशक	8900	03	–	03
3.	अपर निदेशक	8700	01	01	–
4.	वित्त नियंत्रक	वित्त संवर्ग (8700)	01	01	–
5.	संयुक्त निदेशक	7600	01	–	01
6.	उप निदेशक	6600	01	01	–
7.	प्रचार अधिकारी	5400	01	01	–
8.	जन संपर्क अधिकारी	5400	01	01	–
9.	जिला पर्यटन विकास अधि0	5400	09	01	08
10.	प्रभारी फैसिलिटेशन सेल	4200	01	01	–
11.	सहा0 लेखाधिकारी	4800	01	01	–
12.	प्रशासनिक अधिकारी	4600	02	01	–
13.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	4600	02	–	02
14.	वैयक्तिक सहायक	4200	02	01	01
15.	आशुलिपिक / सह डाटा इन्ट्री ऑपरटर	4200	06	05	01
16.	पर्यटक अधिकारी	4200	01	–	01
17.	व्यवस्थापक	4200	01	–	01
18.	अन्वेषक / संगणक	4200	01	–	01
19.	साहसिक खेल अधिकारी	4200	11	08	03
20.	सहा0 पर्यटक विकास अधि0	2800	01	–	01
21.	व0 सहायक	2800	06	–	06
22.	प्रधान सहायक	4200	01	–	01
23.	आशुलिपिक / सह डाटा इन्ट्री ऑपरटर	2400	01	–	01
24.	स्वागती	2400	01	01	–

25.	सहायक स्वागती (09 आउटसोर्स)	1900	10	10	–
26.	कनिष्ठ सहायक	2000	09	03	06
27.	चालक	2000	15	13	02
28.	चतुर्थ श्रेणी	1800	20	20	–
	योग		**119**	**72**	**47**

इस प्रकार राजकीय विभाग व परिषद दोनों व्यवस्थाएं साथ–साथ बनाए रखने का औचित्य प्रतीत नहीं होता। यह अवगत कराया गया कि निदेशालय/राजकीय विभाग में प्रोन्नतियों को छोड़कर नई नियुक्तियां नहीं की जानी हैं तथा मृतक आश्रितों की नियुक्ति परिषद में ही की जा रही हैं। यह भी अवगत कराया गया कि परिषद व निदेशालय मा0 न्यायालय के आदेश के आलोक में समानान्तर संचालित हैं। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के रिट याचिका संख्या 73/2004 (एस0बी0) पी0एन0 पोखरियाल व अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2004 की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई। इस आदेश अनुसार याचीगण का आवंटन उत्तराखण्ड राज्य हेतु अन्तिम रूप से न होने का उल्लेख करते हुए उनका वेतन अवमुक्त करने के निर्देश मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये हैं और याचीगण की प्रास्थिति राज्य सरकार के कर्मियों की तरह इंगित की गई है। उल्लेखनीय है कि अधिनियम 2001 की धारा 10(2) में पर्यटन विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण जिनकी सेवायें पर्यटन विकास परिषद में संविलीन होंगी उन्हें यथावत सरकारी बनाए रखने की और तदानुसार लाभ (सेवानिवृत्ति लाभ सहित) अनुमन्य होने की व्यवस्था है। यह भी उल्लेखनीय है कि 2004 में इस अधिनियम के संशोधन द्वारा परिषद में महानिदेशक पर्यटन की भी भूमिका रखी गई है। अतः अधिनियम में यथोचित संशोधन माध्यम इस दोहरी के स्थान पर एकल व्यवस्था बनाये जाने पर विचार किया जाना चाहिए। यह रोचक है कि पर्यटन निदेशालय में महानिदेशक का पद कदाचित सृजित नहीं है परन्तु संशोधन अधिनियम में इस पदनाम का उल्लेख किया गया है। परिषद व विभाग दोनों में आशुलिपिक पदनाम से ग्रेड वेतन 4200 एवं ग्रेड वेतन 2400 में पद सृजित हैं। इस स्थिति को ठीक किया जाना चाहिए तथा पदनाम यथोचित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।

कतिपय पद एकल पद हैं अर्थात केवल एक–एक पद ही सृजित हैं। ऐसे कार्यों को आउटसोर्सिंग माध्यम कराने पर विचार किया जाना चाहिए।

पर्यटन विकास परिषद तथा पर्यटन विभाग/निदेशालय के अतिरिक्त राजकीय होटल मैनेजमेंट कैटरिंग संस्थान, देहरादून व अल्मोड़ा तथा स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, नई टिहरी संस्थाएं भी गठित हैं जिनमें सृजित व कार्यरत विभिन्न पदों की स्थिति निम्नानुसार है:–

क्रमांक	संस्थान विवरण	सृजित पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	राजकीय होटल मैनेजमेंट कैटरिंग संस्थान देहरादून/अल्मोड़ा	100	43	57
2.	स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, नई टिहरी	20	18	02

होटल मैनेजमेंट संस्थान देहरादून/अल्मोड़ा में विद्युत सहायक के 04 पद (दो रिक्त) व मशीन ऑपरेटर के 02 पद (दोनों रिक्त) सृजित हैं। इन पदों को बनाए रखने का औचित्य नहीं प्रतीत होता अतः इन्हें समाप्त किये जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

होटल मैनेजमेंट संस्थान देहरादून/अल्मोड़ा में पुस्कालयाध्यक्ष का पद ग्रेड वेतन 4800 में जबकि नई टिहरी संस्थान में असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पद ग्रेड वेतन 2800 में सृजित है। इस स्थिति का परीक्षण करा लिया जाना चाहिए।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा भी पर्यटन सम्बन्धी कार्य किये जा रहे हैं, अतः वस्तुतः वर्तमान तिहरी व्यवस्था के स्थान पर एकल व्यवस्था शीघ्र संचालित की जानी उचित होगी। इनके स्थान पर उत्तराखण्ड पर्यटन निगम नाम से कम्पनी अधिनियम अंतर्गत सार्वजनिक कम्पनी गठित कर राजकीय विभाग निदेशालय, पर्यटन विकास परिषद, कुमायूं मण्डल विकास निगम व गढ़वाल मण्डल विकास निगम की पृथक व्यवस्था समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है। कार्यरत राजकीय कर्मचारी इस प्रस्तावित निगम में प्रतिनियुक्ति आधार पर समायोजित किये जा सकते हैं।

देहरादून/अल्मोड़ा तथा नई टिहरी के होटल मैनेजमैन्ट संस्थान समान स्तर के प्रतीत होते हैं परन्तु इनमें पदनाम व वेतनमान की भिन्नता है। अतः यदि ये संस्थान समान स्तर के हैं तो फिर पदनाम व वेतनमान में भिन्नता की स्थिति दूर की जानी चाहिए। होटल मैनेजमेंट संस्थानों का संचालन पी०पी०पी० पद्धति में करने पर विचार/कार्यवाही की जानी चाहिए।

कतिपय पदों यथा लिपिकीय संवर्ग पर नियुक्त कार्मिकों को प्रोन्नति लाभ व ए0सी0पी0 लाभ सहित स्टाफिंग पैटर्न का लाभ भी प्राप्त होता है, जैसा कि इस सम्बन्ध में शासन द्वारा व्यवस्था वर्तमान में अपनाई गई है। सामान्यतः अधिकांश पदों में ए0सी0पी0 व प्रोन्नति दो लाभ ही प्राप्त होते हैं एवं कतिपय ऐसे पद जहां प्रोन्नति की व्यवस्था नहीं होती वहां स्टाफिंग पैटर्न का लाभ प्रोन्नति के अवसर उपलब्ध न होने के दृष्टिगत अनुमन्य किया गया है। अतः जिन पदों हेतु प्रोन्नति पद हों वहां स्टाफिंग पैटर्न भी अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

(42) युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल

विभाग में निदेशालय, जनपद व विकासखण्ड स्तर पर तथा राज्य स्तरीय साहसिक प्रशिक्षण केंद्र, शिवपुरी में विभिन्न श्रेणीवार पदों की स्थिति निम्नानुसार सूचित की गई है:–

क्र0	पद श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	श्रेणी 'क'	04	02	02	
2.	श्रेणी 'ख'	16	05	11	
3.	श्रेणी 'ग'	201	123	80	02 पद अधिक (मृतक आश्रित)
4.	श्रेणी 'घ'	17	16	01	
5.	वाहन चालक (आउटसोर्स)	16	16	–	
6.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (आउटसोर्स)	01	–	01	

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04 जनवरी, 2017 के शासनादेश से 72 अतिरिक्त पद स्वीकृत हुए हैं। पदवार पदों की सूचना निम्नवत सूचित की गई है। इस समिति को सही आकार व युक्तिकरण के सम्बन्ध में संस्तुति करने हेतु दिये गये कार्य उपरान्त नये पद स्वीकृत करने की क्या अपरिहार्यता रही इसकी जानकारी समिति को नहीं हो पाई।

क्र0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	अभ्युक्ति
1.	निदेशक		पदेन (अपर सचिव)
2.	अपर निदेशक/8700	01	
3.	संयुक्त निदेशक/7600	01	
4.	उपनिदेशक/समादेष्टा/6600	02	
5.	सहायक निदेशक/सहायक समादेष्टा/5400	02	
6.	लिपिक संवर्ग/(स्टाफिंग पैटर्न अनुसार विभाजन)	32	06 पद निदेशालय में व 26 पद जनपदों में
7.	क्वार्टर मास्टर/4200	01	
8.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक/4200	01	
9.	वैयक्तिक सहायक/2800	02	01 संविदा
10.	संप्रेक्षक/2800	01	
11.	ड्रिल इन्सट्रक्टर/2000	02	
12.	जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी/4600	13	जनपदों में
13.	क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी/2800	95	विकासखण्डों में
13.	व्यायाम प्रशिक्षक/2800	63	–तदैव–
14.	प्रशिक्षक (साहसिक)/2800	01	प्रशिक्षण केंद्र में
15.	सहायक प्रशिक्षक (साहसिक)/ 2400	01	–तदैव–

क्र0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	अभ्युक्ति
16.	डाटा एंट्री ऑपरेटर कम लिपिक/लेखा लिपिक/स्टोर कीपर	01	संविदा (आउटसोर्स)
17.	वाहन चालक (आउटसोर्स)	16	03 निदेशालय व 13 जनपदों हेतु
18.	अनुसेवक/1800	17	04 निदेशालय व 13 जनपदों हेतु
	योग	**256**	

इस विभाग के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु विचार करना चाहिए–

1. अपर निदेशक व संयुक्त निदेशक के 01–01 पद तथा उप निदेशक व सहायक निदेशक के 02–02 पद हैं। कार्य की आवश्यकता तथा सामान्य पिरामिड आधारित संवर्गीय सिद्धान्त के दृष्टिगत संयुक्त निदेशक एवं अपर निदेशक स्तर के पद का औचित्य नहीं दिखाई देता। अतः इन पदों को समाप्त किये जाने एवं उप निदेशक का 01 पद रखने पर विचार किया जाय।
2. लिपिक संवर्ग के निदेशालय में 04 पद पर्याप्त रहेंगे अतः 02 पद समाप्त किये जा सकते हैं।
3. संप्रेक्षक का 01 मात्र पद समाप्त किया जाय।
4. विकासखण्डों में व्यायाम प्रशिक्षक के 63 पदों के सम्बन्ध में पुनर्विचार किया जाना चाहिए। यदि व्यायाम प्रशिक्षण की आवश्यकता व औचित्य/उपयोगिता हो तो जनपद स्तर पर 01–01 व्यायाम प्रशिक्षक की व्यवस्था (सम्भव हो तो आउटसोर्स माध्यम) कर आवश्यकतानुसार विकासखण्ड स्तर पर कैम्प लगाकर कार्य सम्पन्न किया जा सकता है। तदानुसार पद समाप्त करने अथवा मात्र 13 पद रखने पर विचार किया जाना चाहिए।
5. जनपदों में वाहन चालक के 13 पद (आउटसोर्स आधारित) रखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, अतः इन्हें समाप्त किया जाना चाहिए।

(43) संस्कृति विभाग

संस्कृति विभाग में 17 ईकाईयां व उनमें पदों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार इंगित किया गया है:–

क्र0	ईकाई का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	संस्कृति निदेशालय, देहरादून	26	14	12
2.	पं0 गोविन्द बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, अल्मोड़ा	24	16	08
3.	राजकीय संग्रहालय एवं प्रेक्षाग्रह पिथौरागढ़	10	–	10
4.	क्षेत्रीय पुरातत्व ईकाई, अल्मोड़ा	17	13	04
5.	क्षेत्रीय पुरातत्व ईकाई, पौड़ी	17	10	07
6.	भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, अल्मोड़ा	29	13	16

क्र0	ईकाई का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
7.	भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, देहरादून	22	09	13
8.	संस्कृति भवन (प्रेक्षाग्रह), पौड़ी	04	03	01
9.	भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, पौड़ी	14	10	04
10.	स्व0 गोविन्द बल्लभ पंत लोक कला संस्थान, अल्मोड़ा	05	02	03
11.	पुराविशेष एवं बहुमूल्य कलाकारी योजना, नैनीताल	04	01	03
12.	राज्य अभिलेखागार, उत्तराखण्ड, देहरादून	31	14	17
13.	क्षेत्रीय अभिलेखागार, नैनीताल	08	04	04
14.	उत्तराखण्ड संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद, देहरादून	07	02	05
15.	रंगमंडल, अल्मोड़ा	06	–	06
16.	रंग मंडल, देहरादून	06	–	06
17.	शहीद स्मारक, रायपुर तिराहा, मुजफ्फरनगर	01	–	01
	योग	**231**	**111**	**120**

वर्ष 2015–16 में वेतन सम्बन्धी कुल व्यय लगभग रू0 5.42 करोड़ बताया गया है। सभी पद भरे होने की दशा में यह व्यय लगभग रू0 11.28 करोड़ होता जो सातवें पुनरीक्षित वेतन अनुसार लगभग रू0 12.97 करोड़ होता है। जो पद आउटसोर्सिंग से भरे हैं उनमें नियमित नियुक्ति होने पर व्यय भार में तदानुसार वृद्धि होगी।

ईकाईवार पदों के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण निम्नानुसार प्राप्त कराया गया है:–

1– संस्कृति निदेशालय, देहरादून

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	निदेशक/8900	01	–	01	
2.	संयुक्त निदेशक/7600	01	01	–	
3.	उप निदेशक/6600	01	–	01	
4.	सहायक निदेशक/5400	01	–	01	
5.	पुरातत्व अभियंता/5400	01	–	01	
6.	फोटो अधिकारी/4600	01	–	01	
7.	फोटोग्राफर/2800	01	01	–	
8.	प्रशासनिक अधिकारी/4600	02	02	–	
9.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक/4600	01	–	01	
10.	लेखाकार/4200	04	02	02	
11.	प्रधान सहायक/4200	02	02	–	
12.	अवर अभियंता/2800	01	–	01	
13.	वरिष्ठ सहायक/2800	03	0	01	
14.	कनिष्ठ सहायक/2000	04	04	–	
15.	अनुसेवक/1800	02	–	02	
	योग	**26**	**14**	**12**	

4

2– पं0 गोविन्द बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, अल्मोड़ा

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	निदेशक/6600	01	–	01	
2.	प्रदर्शक व्याख्याता/4200	01	01	–	
3.	मूर्तिकार/4200	01	01	–	
4.	रसायनविद/2800	01	–	01	
5.	फोटोग्राफर/2800	01	01	–	
6.	वैयक्तिक सहायक/2800	01	01	–	
7.	वरिष्ठ सहायक/2800	02	02	–	
8.	वीथिका सहायक/2400	01	01	–	
9.	अभिरक्षक/2400	01	01	–	
10.	वाहन चालक/1900	01	01	–	
11.	पैडस्टल मेकर/1800	01	01	–	
12.	बढ़ई/1800	01	–	01	
13.	अनुसेवक/लैब परिचर/ वीथिका परिचर/स्वच्छक/ 1800	11	06	05	
	योग	**24**	**16**	**08**	

3. राजकीय संग्रहालय एवं प्रेक्षाग्रह, पिथौरागढ़

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	संग्रहालयाध्यक्ष/4600	01	–	01	
2.	लेखाकार/4200	01	–	01	
3.	प्रदर्शक व्याख्याता/4200	01	–	01	
4.	वरिष्ठ सहायक/2800	01	–	01	
5.	वीथिका सहायक/2400	01	–	01	
6.	अनुसेवक/लैब परिचर/ वीथिका परिचर/स्वच्छक/ 1800	05	–	05	
	योग	**10**	**–**	**10**	

4. क्षेत्रीय पुरातत्व ईकाई, अल्मोड़ा

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी/ 5400	01	–	01	
2.	अन्वेषण सहायक/4600	01	01	–	
3.	लेखाकार/4200	01	01	–	
4.	संरक्षण सहायक/2800	01	01	–	
5.	मानचित्रकार/2800	01	–	01	

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
6.	फोटोग्राफर/2800	01	01	–	
7.	वरिष्ठ सहायक/2800	01	01	–	
8.	कनिष्ठ सहायक/2000	01	01	–	
9.	चालक/1900	01	–	01	
10.	अनुसेवक/स्मारक परिचर/ 1800	07	06	01	
11.	स्वच्छक (नियत वेतन)	01	01	–	
	योग	**17**	**13**	**04**	

5. क्षेत्रीय पुरातत्व ईकाई, पौड़ी

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी/ 5400	01	01	–	
2.	अन्वेषण सहायक/4600	01	–	01	
3.	लेखाकार/4200	01	–	01	
4.	संरक्षण सहायक/2800	01	01	–	
5.	मानचित्रकार/2800	01	01	–	
6.	फोटोग्राफर/2800	01	01	–	
7.	वरिष्ठ सहायक/2800	01	01	–	
8.	कनिष्ठ सहायक/2000	01	01	–	
9.	चालक/1900	01	–	01	
10.	अनुसेवक/स्मारक परिचर/ 1800	07	03	04	
11.	स्वच्छक (नियत वेतन)	01	01	–	
	योग	**17**	**10**	**07**	

6. भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, अल्मोड़ा

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	प्रधानाचार्य/7600	01	01	–	
2.	प्रवक्ता गायक/5400	01	01	–	
3.	प्रवक्ता कथक/5400	01	–	01	
4.	प्रवक्ता सितार/5400	01	–	01	
5.	कनिष्ठ प्रवक्ता गायन/ 4600	01	–	01	
6.	कनिष्ठ प्रवक्ता कथक/ 4600	01	01	–	
7.	कनिष्ठ प्रवक्ता सितार/ 4600	01	–	01	
8.	कनिष्ठ प्रवक्ता लोकनृत्य/ 4600	01	–	01	
9.	कनिष्ठ प्रवक्ता भरतनाट्यम/4600	01	01	–	

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
10.	लेखाकार/4200	01	01	–	
11.	प्रधान सहायक/4200	01	01	–	
12.	सहायक लेखाकार/2800	01	–	01	
13.	वरिष्ठ सहायक/2800	01	01	–	
14.	संगतकर्ता लोकवाद्य/2400	01	–	01	
15.	संगतकर्ता लोकनृत्य/2400	01	–	01	
16.	संगतकर्ता मुदंग/2400	01	–	01	
17.	संगतकर्ता गायन/2400	01	–	01	
18.	संगतकर्ता तबला/2400	03	01	02	
19.	संगतकर्ता सारंगी/2400	01	–	01	
20.	संगतकर्ता गायन भरतनाट्यम/2400	01	–	01	
21.	अनुसेवक/स्वच्छक/1800	07	05	02	
	योग	**29**	**13**	**16**	

7. भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, देहरादून

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	प्रधानाचार्य/7600	01	–	01	
2.	प्रवक्ता गायक/5400	01	–	01	
3.	प्रवक्ता कथक/5400	01	–	01	
4.	प्रवक्ता सितार/5400	01	01	–	
5.	कनिष्ठ प्रवक्ता लोकनृत्य/4600	01	–	01	
6.	कनिष्ठ प्रवक्ता भरतनाट्यम/4600	01	–	01	
7.	कनिष्ठ प्रवक्ता तबला/4600	01	01	–	
8.	लेखाकार/4200	01	–	01	
9.	प्रधान सहायक/4200	01	01	–	
10.	वरिष्ठ सहायक/2800	01	01	–	
11.	संगतकर्ता लोकवाद्य/2400	01	–	01	
12.	संगतकर्ता लोकनृत्य/2400	01	–	01	
13.	संगतकर्ता मृदंग/2400	01	–	01	
14.	संगतकर्ता गायन भरतनाट्यम/2400	01	–	01	
15.	संगतकर्ता तबला/2400	03	02	01	
16.	संगतकर्ता सारंगी/2400	02	01	01	
17.	अनुसेवक/स्वच्छक/1800	03	02	01	
	योग	**22**	**09**	**13**	

8. संस्कृति भवन (प्रेक्षागृह), पौड़ी

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	प्रबंधक ऑडिटोरियम/2400	01	01	–	
2.	वरिष्ठ सहायक/2800	01	01	–	
3.	अनुसेवक/मंच सहायक/ 1800	01	–	01	
4.	स्वच्छक सह चौकीदार/ 1800	01	01	–	
	योग	**04**	**03**	**01**	

9. भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, पौड़ी

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	कनिष्ठ प्रवक्ता लोकनृत्य/ 4600	01	01	–	
2.	कनिष्ठ प्रवक्ता तबला/4600	01	01	–	
3.	कनिष्ठ प्रवक्ता सितार/4600	01	–	01	
4.	कनिष्ठ प्रवक्ता गायन/4600	01	–	01	
5.	प्रधान सहायक/4200	01	01	–	
6.	संगतकर्ता तबला/2400	02	02	–	
7.	संगतकर्ता सारंगी/2400	01	01	–	
8.	संगतकर्ता लोकवाद्य/2400	01	01	–	
9.	संगतकर्ता लोकनृत्य/2400	01	01	–	
10.	कनिष्ठ सहायक/2000	01	01	–	
11.	अनुसेवक/स्वच्छक/1800	03	01	02	
	योग	**14**	**10**	**04**	

10. स्व0 गोविन्द बल्लभ पंत लोक कला संस्थान, अल्मोड़ा

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	शोध अधिकारी/4600	01	–	01	
2.	सहायक लेखाकार/2800	01	–	01	
3.	डॉक्यूमेन्टेशन सहायक/2400	01	–	01	
4.	अनुसेवक/1800	01	01	–	
5.	स्वच्छक (नियत वेतन)	01	01	–	
	योग	**05**	**02**	**03**	

11. पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति योजना, नैनीताल

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ 5400	01	–	01	
2.	कनिष्ठ सहायक/2000	01	01	–	
3.	अनुसेवक/1800	02	–	02	
	योग	**04**	**01**	**03**	

12. राज्य अभिलेखागार, उत्तराखण्ड, देहरादून

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	निदेशक/6600	01	01	–	
2.	उप निदेशक/6600	01	–	01	
3.	सहायक निदेशक, संरक्षण एवं प्रशासन/4600	01	–	01	
4.	वैयक्तिक अधिकारी/4600	01	01	–	
5.	प्रशासनिक अधिकारी/4600	01	–	01	
6.	प्राविधिक सहायक (इतिहास)/4200	02	01	01	
7.	प्राविधिक सहायक (उर्दू)/4200	01	–	01	
8.	माइक्रो फोटोग्राफिस्ट/4200	01	–	01	
9.	कम्प्यूटर ऑपरेटर/4200	01	–	01	
10.	प्रकाशन सहायक/4200	01	01	–	
11.	पुस्तकालयाध्यक्ष/2800	01	01	–	
12.	सहायक लेखाकार/2800	01	01	–	
13.	कनिष्ठ प्राविधिक सहायक (इतिहास)/2800	03	02	01	
14.	वरिष्ठ सहायक/2800	02	01	01	
15.	वैयक्तिक सहायक/2800	01	–	01	
16.	कनिष्ठ सहायक/2000	03	03	–	
17.	माइक्रोफिल्म ऑपरेटर/1900	01	01	–	
18.	हेड मेण्डर/1900	01	–	01	
19.	मेण्डर/1800	03	–	03	
20.	बण्डल लिफ्टर/1800	02	–	02	
21.	अनुसेवक/चौकीदार/1800	02	01	01	
	योग	**31**	**14**	**17**	

13. क्षेत्रीय अभिलेखागार, नैनीताल

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी/4600	01	–	01	
2.	कनिष्ठ प्राविधिक सहायक (इतिहास)/2800	01	01	–	

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
3.	वरिष्ठ सहायक/2800	01	—	01	
4.	कनिष्ठ सहायक/2000	01	01	—	
5.	फोटोकॉपियर ऑपरेटर/1900	01	01	—	
6.	मेण्डर/1800	01	01	—	
7.	अनुसेवक/1800	02	—	02	
	योग	**08**	**04**	**04**	

14. उत्तराखण्ड संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद, देहरादून

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	विशेष कार्याधिकारी/6600	01	—	01	
2.	वैयक्तिक सहायक/4200	01	—	01	
3.	पुस्तकालयाध्यक्ष/4200	01	—	01	
4.	सहायक लेखाकार/2800	01	—	01	
5.	वरिष्ठ सहायक/2800	01	—	01	
6.	कनिष्ठ सहायक/स्टोरकीपर/2000	02	02	—	
	योग	**07**	**02**	**05**	

15. रंगमण्डल, अल्मोड़ा

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	रंगमण्डल संयोजक/4600	01	—	01	
2.	कनिष्ठ सहायक/2000	01	—	01	
3.	ध्वनि टैक्नीशियन/1900	01	—	01	
4.	प्रकाश टैक्नीशियन/1900	01	—	01	
5.	कारपेन्टर/बढ़ई/1800	01	—	01	
6.	अनुसेवक/1800	01	—	01	
	योग	**06**	**—**	**06**	

16. रंगमण्डल, देहरादून

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	रंगमण्डल संयोजक/4600	01	—	01	
2.	कनिष्ठ सहायक/2000	01	—	01	
3.	ध्वनि टैक्नीशियन/1900	01	—	01	

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
4.	प्रकाश टैक्नीशियन/1900	01	–	01	
5.	कारपेन्टर/बढ़ई/1800	01	–	01	
6.	अनुसेवक/1800	01	–	01	
	योग	**06**	**–**	**06**	

17. शहीद स्मारक रामपुर तिराहा, मुजफ्फरनगर

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	स्मारक प्रभारी/2800	01	–	01	
	योग	**01**	**–**	**01**	

उक्त विभिन्न ईकाईयों के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही की जा सकती है:–

1. निदेशालय स्तर पर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक तथा सहायक निदेशक के 01–01 ही पद सृजित हैं और संयुक्त निदेशक के अतिरित अन्य सभी पद रिक्त हैं। अतः निदेशक पद का ग्रेड वेतन 7600 का रखने तथा संयुक्त निदेशक पद समाप्त करने पर विचार किया जाय। निदेशालय में 04 लेखाकार पद है जिन्हें 02 कर दिया जाय। अवर अभियंता तथा पुरातत्व अभियंता के पद समाप्त करने पर विचार किया जाय।

2. पं0 गोविन्द बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, अल्मोड़ा में निदेशक का पद ग्रेड वेतन 6600 में है। यह एक ईकाई है अतः इनमें अधीक्षक का पद रखा जाना चाहिए और निदेशक पदनाम समाप्त किया जाना चाहिए।

3. क्षेत्रीय पुरातत्व ईकाई अल्मोड़ा एवं पौड़ी में हैं। दोनों ईकाईयों के स्थान पर एक राज्य पुरातत्व एवं बहुमूल्य कलाकृति ईकाई गठित की जाय जो यथा आवश्यकता क्षेत्र का भ्रमण करे। पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति योजना, नैनीताल को भी समाप्त कर प्रस्तावित राज्य पुरातत्व एवं बहुमूल्य कलाकृति ईकाई में ही सभी सम्बन्धित कार्यकलाप सौंपे जायें।

4. स्व0 गोविन्द बल्लभ पंत लोक कला संस्थान, अल्मोड़ा को भी समाप्त कर दिया जाय। उल्लेखनीय है कि इसमें मात्र एक अनुसेवक व एक स्वच्छक ही कार्यरत हैं।

5. रंगमंडल अल्मोड़ा एवं देहरादून में सृजित सभी पद रिक्त हैं इन दोनों ईकाईयों को समाप्त किया जाय।

6. उत्तराखण्ड संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद, देहरादून को समाप्त किया जाय। उल्लेखनीय है कि केवल कनिष्ठ सहायक के दो ही पद कार्यरत बताए गये हैं।

7. क्षेत्रीय अभिलेखागार नैनीताल को राज्य अभिलेखागार में ही समाहित कर नैनीताल ईकाई समाप्त की जा सकती है।

(44) लोक निर्माण विभाग

लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढांचे में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार सूचित किया गया है :-

क्र0	संवर्ग श्रेणी	स्वीकृत			कार्यरत			रिक्त		
		संवर्गीय	निःसंवर्गीय	योग	संवर्गीय	निःसंवर्गीय	योग	संवर्गीय	निःसंवर्गीय	योग
1.	तकनीकी	1752	142	1894	1231	142	1373	521	–	521
2.	मिनिस्टीरियल	1489	–	1489	1347	–	1347	146	–	146
3.	कार्य प्रभारित	7717	–	7717	6301	–	6301	1416	–	1416
	योग	**10958**	**142**	**11100**	**8879**	**142**	**9021**	**2083**	**–**	**2083**

वित्तीय वर्ष 2015–16 में कार्य प्रभारित कार्मिकों सहित कुल वेतन सम्बन्धी व्यय लगभग रू0 343.59 करोड़ एवं अधिष्ठान की अन्य मदों में व्यय लगभग रू0 10.24 करोड़ सूचित किया गया है। 2015–16 के वेतन स्तर पर सभी पद भर दिये जाने की दशा में लगभग रू0 79.50 करोड़ का न्यूनतम व्यय वेतन सम्बन्धी मदों में अतिरिक्त होता। सातवें पुनरीक्षित वेतनमान अनुसार भरे पदों के सापेक्ष वेतन सम्बन्धी व्यय लगभग रू0 395 करोड़ होता है, जबकि सभी पद भरे होने की दशा में यह लगभग रू0 486.55 करोड़ आंकलित होता है।

वर्ष 2015–16 में सभी योजनाओं से सम्बन्धित कार्यों में कुल व्यय लगभग रू0 2685. 92 करोड़ बताया गया। यह भी ज्ञात कराया गया है कि वर्ष 2016–17 में उपलब्ध कार्यों (पूर्व से अवशेष एवं नये स्वीकृत सहित) की कुल लागत लगभग रू0 13563.71 करोड़ थी जिसके सापेक्ष धनावंटन लगभग रू0 2303.48 करोड़ का प्राप्त हुआ। इस स्थिति में प्रति खण्ड औसतन अवशेष स्वीकृतियां लगभग रू0 161.47 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष में प्रतिखण्ड औसत धन उपलब्धता लगभग रू0 27.42 करोड़ बताई गई है। कदाचित यह स्थिति मुख्यतः बजट मैनुअल के प्राविधानों के विपरीत नये कार्य अति न्यून धनराशि से स्वीकृत करने के कारण है। ऐसी स्थिति न तो कार्यों की दृष्टि से उचित है और न ही वित्तीय व राजकोषीय दृष्टिकोण से ठीक है।

विभाग में तकनीक एवं अन्य विशिष्ट श्रेणी के समूह 'क' एवं 'ख' के पदों की स्थिति निम्नानुसार सूचित की गई है:-

क्र0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद			कार्यरत		रिक्त	अभ्युक्ति
		संवर्गीय	नि:संवर्गीय	योग	नियमित	प्रभारी		
1.	प्रमुख अभियन्ता	01	–	01	01	–	–	प्रभारी रूप से पूर्त।
2.	मुख्य अभियन्ता स्तर–1/	03	–	03	03	–	–	
3.	मुख्य अभियन्ता स्तर–2/	07	04	11	06	05	01	
4.	अधीक्षण अभियन्ता (सि0)/	21	13	34	19	21	15	
5.	अधीक्षण अभि0 (वि0/यां0)/	02	–	02	02	–	–	
6.	अधिशासी अभि0 (सि0)/	93	36	129	81	77	48	
7.	अधि0अभि0 (वि0/यां0)	06	–	06	03	03	03	
8.	सहायक अभि0(सि0)/	365	89	454	289	226	76	
9.	सहायक अभि0(वि0/यां0)/	28	–	28	20	11	08	
10.	वित्त नियंत्रक/	01	–	01	01	–	–	
11.	वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक/	02	–	02	–	–	02	
12.	भू–वैज्ञानिक/	02	–	02	–	–	02	
13.	सहायक भू–वैज्ञानिक/	04	–	04	03	–	01	
14.	वरिष्ठ वास्तुविद/	01	–	01	–	–	01	
15.	वास्तुविद/	01	–	01	–	–	01	
16.	सहायक वास्तुविद/	02	–	02	–	–	02	
17.	उप निदेशक अन्वेषण/	01	–	01	–	–	01	
18.	विधि परामर्शी/	05	–	05	–	–	05	आउटसोर्सिंग
19.	सहायक शोध अधि0/	02	–	02	–	–	02	–तदैव–
20.	जूनियर कैमिस्ट/	04	–	04	–	–	04	–तदैव–
21.	जूनियर लैब असिस्टेंट/	04	–	04	–	–	04	–तदैव–
22.	विधि सहायक/	02	–	02	–	–	02	01 स्थापन्न रूप से कार्यरत
23.	आई0टी0 हैड/	01	–	01	01	–	–	आउटसोर्सिंग
24.	प्रोग्रामर/	02	–	02	02	–	–	आउटसोर्सिंग
25.	स्ट्रक्चरल डिजायन इंजीनियर/	01	–	01	–	–	01	आउटसोर्सिंग
	योग	**561**	**142**	**703**	**431**	**343**	**179**	

मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारियों का कार्य प्रभाजन निम्नानुसार सूचित किया गया है :–

1.	प्रमुख अभियन्ता	–	विभागाध्यक्ष
2.	मुख्य अभियन्ता स्तर–1	–	(1) मुख्य अभियन्ता ब्रिज सैल, क्वालिटी कन्ट्रोल, नियोजन एवं मुख्यालय (विभागाध्यक्ष कार्यालय में अधिकल्यन, नियोजन, बजट, व्यवस्थापन, परिवाद, गुणवत्ता नियंत्रण आदि कार्य) (2) मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना निदेशक ए0डी0बी0, देहरादून (3) मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग एवं ब्रिजेज, देहरादून (गढ़वाल मण्डल के राष्ट्रीय राजमार्ग तथा 60 मी0 स्पान से अधिक सेतु निर्माण कार्य)
3.	मुख्य अभियन्ता स्तर–2	–	(1) क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता देहरादून (देहरादून, हरिद्वार) (2) क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, पौड़ी (पौड़ी, रूद्रप्रयाग, चमोली) (3) क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, टिहरी (टिहरी, उत्तरकाशी) (4) क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, हल्द्वानी (उधमसिंहनगर, नैनीताल) (5) क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, अल्मोड़ा (अल्मोड़ा, बागेश्वर) (6) क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, पिथौरागढ़ (चम्पावत, पिथौरागढ़) (7)मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं ब्रिजेज, हल्द्वानी (कुमायूं मण्डल के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं 60 मी0 से अधिक स्पान के सेतु)
4.	निःसंवर्गीय		(1) मुख्य अभियन्ता, विश्वबैंक, देहरादून (2) सलाहकार, अवस्थापना सुविधाएं (शासन स्तर पर)

विभाग में वृत्तों एवं खण्डों की सूचना निम्नवत् सूचित की गई है :–

वृत्त	खण्ड
1. सिविल वृत्त–13	1. सिविल खण्ड – 56
2. रा0मा0 वृत्त– 02	2. रा0मा0 खण्ड – 09
3. वि0/यां0 वृत्त – 02	3. वि0/यां0 खण्ड – 06
4. क्वालिटी कन्ट्रोल – 01	4. नियोजन एवं क्वालिटी कन्ट्रोल खण्ड–02
5. स्टाफ आफीसर – 04 (02 विभाग, 02 पी0एम0यू0)	
6. ए0डी0बी0 वृत्त–02 नि:संवर्गीय	5. ए0डी0बी0 खण्ड – 20
7. ए0डी0बी0 आपदा वृत्त – 02 नि:संवर्गीय	
8. पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त–06 (02 संवर्गीय, 04 नि:संवर्गीय)	6. सिंचाई विभाग – 16 7. पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड–13 (त्यूनी खण्ड संचालन में नहीं) 8. ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा – 03
9. विश्व बैंक वृत्त – 03 (नि:संवर्गीय)	9. विश्वबैंक खण्ड – 11
योग – 35	**योग – 136**

अन्य कतिपय संवर्गों से सम्बन्धित सूचना निम्नानुसार इंगित हुई है:–

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	कनिष्ठ अभियन्ता सिविल	888	685	203	
2.	कनिष्ठ अभियन्ता सिविल (नि:संवर्गीय)	184	184	–	संविदा पर
3.	कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक	112	62	50	
4.	कनिष्ठ अभियन्ता (वि0)	45	35	10	
5.	कनिष्ठ अभियन्ता (यां0)	60	48	12	
6.	मानचित्रकार	107	35	72	
7.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	81	66	15	
8.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	109	92	17	
9.	प्रशासनिक अधिकारी	109	97	12	
10.	प्रधान सहायक	243	238	05	
11.	वरिष्ठ सहायक	377	323	54	
12.	कनिष्ठ सहायक	432	459	(–)27	
13.	लेखाकार	05	05	–	
14.	सहायक लेखाकार	09	03	06	
15.	विधि सहायक	08	–	08	
16.	मुख्य वैयक्तिक अधिकारी	07	–	07	
17.	वैयक्तिक अधिकारी	17	04	13	
18.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	40	16	24	
19.	वैयक्तिक सहायक	50	13	37	
20.	चतुर्थ श्रेणी (मुख्य अभियन्ता संवर्ग)	66	45	21	
	योग	**299**	**240**	**539**	

नियमित कार्य प्रभारित अधिष्ठान के सम्बन्ध में सूचना निम्नवत् बताई गई है:-

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	जीप/कार चालक/2000	112	70	42	
2.	ट्रक/टिप्पर/टैंकर/रोलर/ ट्रैक्टर/2000	272	196	76	
3.	जे0सी0बी0/डोजर आपरेटर/1900	80	36	44	
4.	क्लीनर/1800	244	230	14	(मृत संवर्ग)
5.	कम्प्रेशर आपरेटर/1800	58	58	–	(मृत संवर्ग)
6.	मैकेनिक/1900	32	13	19	
7.	सहायक मैकेनिक/1900	07	07	–	
8.	रोलर फोरमैन/2000	10	03	07	(मृत संवर्ग)
9.	इलैक्ट्रीशियन/2400	46	28	18	
10.	हैल्पर/1800	37	29	08	(मृत संवर्ग)
11.	मैसन/1800	23	09	14	(मृत संवर्ग)
12.	प्लम्बर/1900	21	15	06	
13.	स्वीपर/1800	20	51	–31	(मृत संवर्ग)
14.	माली/1800	45	24	21	(मृत संवर्ग)
15.	कुक/1800	17	13	04	(मृत संवर्ग)
16.	वर्क एजेन्ट/मिस्त्री/2400	792	391	401	
17.	मेट/1900	944	820	124	
18.	बेलदार/1800	3960	3681	279	(मृत संवर्ग)
19.	चौकीदार (खण्ड स्तर पर स्टोर के लिए चिन्हित)/1800	367	170	197	(मृत संवर्ग)
20.	वर्क सुपरवाईजर/2000	31	16	15	(मृत संवर्ग)
21.	कारपेन्टर/1900	21	19	02	
22.	कनिष्ठ सहायक रसायनज्ञ/2000	04	03	01	
23.	प्रयोगशाला सहायक/1900	04	02	02	
24.	स्टोर मुंशी/1800	03	02	01	(मृत संवर्ग)
25.	लौहार/1800	02	–	02	(मृत संवर्ग)
26.	अमीन/2000	145	94	51	
27.	दफ्तरी/1800	79	44	35	(मृत संवर्ग)
28.	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक/1900	04	01	03	
29.	प्रयोगशाला अनुसेवक/1900	04	–	04	
30.	अनुसेवक/1800	249	211	38	(मृत संवर्ग)
31.	चौकीदार/1800	79	60	19	(मृत संवर्ग)
32.	सर्वेयर/1900	05	05	–	
	योग	**7717**	**6301**	**1416**	**771 पद मृत संवर्ग के सापेक्ष रिक्त**

प्राप्त सूचनाओं के क्रम में विचारणीय बिन्दु इस प्रकार हैं :–

1. उक्त सूचनाओं से स्पष्ट है कि लोक निर्माण विभाग में कुल 10958 पदों में से 7717 (अन्य स्थान में दिये विवरण अनुसार– 7743) पद नियमित कार्य प्रभारित अधिष्ठान के बताए गये हैं एवं इस अधिष्ठान में कुल 32 प्रकार के पदनाम इंगित हैं। नियमित कार्य प्रभारित अधिष्ठान में बेलदार के ही 3960 पद सूचित किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि वर्षों पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका में कार्य प्रभारित स्टाफ की व्यवस्था का प्राविधान समाप्त हो चुका है एवं साथ ही यह कि अब ठेकेदारों की क्षमता (तकनीकी, वित्तीय एवं अनुभव) में काफी प्रगति हो चुकी है और अब ई0पी0सी0 (इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेन्ट एवं कन्स्ट्रक्शन), टर्न–की आदि टेण्डर पद्धतियों का प्रयोग/क्रियान्वयन सामान्यतया सभी जगह किया जा रहा है और प्रगति/अनुश्रवण/गुणवत्ता आदि के लिए परामर्शी सेवाएं भी टेण्डर से लिए जाने की व्यवस्था व अनुभव उपलब्ध हैं। ऐसी दशा में नियमित कार्य प्रभारित अथवा इस प्रकार की कोई अन्य रीति से नियमित कार्य प्रभारित अधिष्ठान अंतर्गत वर्णित बहुत सारे पदों को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं रह गई है। उचित होगा कि वार्षिक सामान्य रखरखाव सम्बन्धी कार्य सड़क के नियत दूरी के टुकड़ों/अंशों (stretches) के लिए आउटसोर्सिंग, विभिन्न प्रकार की सड़कों के प्रकार के आधार पर वार्षिक रूप से दिये जा सकते हैं एवं नये कार्यों के सम्बन्ध में अनुश्रवण, प्रगति, गुणवत्ता आदि के लिए परामर्शी सेवाएं अधिप्राप्ति नियमों अंतर्गत टेण्डर से प्राप्त की जा सकती हैं। इसी दृष्टिकोण से कदाचित कई पद इस अधिष्ठान में मृत संवर्ग भी घोषित किये जा चुके हैं। शेष अधिकांश (अमीन आदि के अतिरिक्त) पदों को भी मृत संवर्ग घोषित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो पद अभी रिक्त हैं उन्हें तत्काल समाप्त कर दिया जाय। स्वच्छक सम्बन्धी कार्य, माली का कार्य आदि कतिपय प्रकार के कार्यों को आउटसोर्सिंग माध्यम कराया जाना चाहिए। कुल मिलाकर नियमित कार्य प्रभारित अधिष्ठान में वर्णित पदों के प्रकार व संख्या अति आवश्यक न्यूनतम तक ही रखे जायें और कुल संख्या को लगभग एक चौथाई से न्यून तक (लगभग 1930 तक) किया जाय।

2. ई0पी0सी0 पद्धति से कार्य सम्पन्न कराने एवं प्रगति, अनुश्रवण, गुणवत्ता आदि के लिए परामर्शी सेवाएं लेने की व्यवस्था अपनाने के क्रम में तकनीकी संवर्गों के पदों में भी तदानुसार यथोचित कमी की जा सकती है।

3. लो0नि0वि0 सहित सभी निर्माण विभागों (निर्माण सम्बन्धी निगमों/प्राधिकरणों सहित) के लिए एक एकीकृत (सभी में समान प्रकार से लागू किये जाने योग्य) साफ्टवेयर तत्काल तैयार कराकर लागू किया जाय ताकि प्रत्येक निर्माण कार्य के आगणन, प्रशासनिक

स्वीकृति, प्राविधिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, बजट प्राप्ति, व्यय, भौतिक प्रगति के लिए एक ही प्लेटफार्म पर सभी सूचनाएं/विवरण आनलाइन व रियल टाइम आधार पर दर्ज हो सकें जिसमें प्रत्येक कार्य के लिए विशिष्ट कोड माध्यम प्रत्येक गतिविधि, निरीक्षण, कार्यवाही की सूचना सहित कार्य/गुणवत्ता आदि में जुड़े कार्मिकों की पहचान भी दर्ज हो सके। वर्तमान में इस प्रकार की व्यवस्था न होने के कारण सूचनाओं की सटीकता, सत्यता व प्रगति की सही/सटीक जानकारी नहीं हो पाती है। इस साफ्टवेयर से एम0आई0एस0 की भी व्यवस्था बनाई जा सकती है। इस कार्यवाही में जियोटैगिंग/जी0पी0एस0 मैपिंग आदि व्यवस्था भी जोड़ी जानी चाहिए ताकि मास्टर प्लान, स्थलीय आवश्यकता, क्रियान्वयन की स्थिति आदि पर उचित नियंत्रण/पर्यवेक्षण रखा जा सके।

4. वर्तमान में लो0नि0वि0 खण्डों की संख्या राज्य में 136 बताई गई है जिसका विवरण पूर्व में उल्लिखित किया जा चुका है। लो0नि0वि0 के पास मुख्यत: सड़कों का निर्माण कार्य है। ग्रामीण सड़कों का कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के अधीन किया जा रहा है जबकि ग्रामीण निर्माण विभाग (पूर्व में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग) द्वारा छोटी ग्रामीण सड़कों व भवन निर्माण आदि कार्य किया जा रहा है। पुलों/सेतुओं (रोपवे सहित) हेतु कदाचित अलग से अभी व्यवस्था नहीं है, यद्यपि सम्भवत: बिडकुल नाम से संस्थान गठित की गई है। राज्य के सड़कों सम्बन्धी सभी कार्य ग्रामीण सड़कों, अन्य जिला सड़कों (ओ0डी0आर0), जिला सड़कों, राज्य राज मार्ग (स्टेट हाईवे) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाईवे) के रूप में किया जा रहा है। लो0निवि0 द्वारा भवनों का निर्माण कार्य कदाचित अब सीमित रूप में ही किया जाता है जबकि ए0डी0बी0 एवं विश्वबैंक पोषित (आपदा 2013 के क्रम में स्वीकृत परियोजनाओं सहित) योजनाओं अंतर्गत सड़कों के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण सड़कों (पी0एम0जी0एस0वाई0 सहित) तथा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधीन किये जाने वाले सड़कों व भवनों के निर्माण कार्य सहित लो0नि0वि0 में कुल 136 के स्थान पर कुल खण्डों की संख्या 100 तक ही सीमित की जा सकती है। इस हेतु निम्नानुसार विवरण अवलोकनीय व विचारणीय है :-

ग्रामीण सड़कें (पी0एम0जी0एस0वाई0 सहित)	–	26 खण्ड
ओ0डी0आर0/डी0आर0/राज्य राजमार्ग	–	13 खण्ड
राष्ट्रीय राजमार्ग	–	09 खण्ड
वि0/यां0 खण्ड	–	06 खण्ड
भवन निर्माण खण्ड	–	06 खण्ड

नियोजन, अनुश्रवण एवं गुणवत्ता नियंत्रण खण्ड	–	02 खण्ड
ए0डी0बी0 पोषित परियोजना	–	20 खण्ड
विश्वबैंक पोषित परियोजना	–	11 खण्ड
सेतु/पुल एवं रोपवे खण्ड	–	04 खण्ड
योग	–	**98 खण्ड**

पी0एम0जी0एस0वाई0, ए0डी0बी0 तथा विश्व बैंक सम्बन्धी खण्डों की संख्या इन योजनाओं/परियोजनाओं का सम्बन्धित स्रोतों से वित्त पोषण बंद हो जाने पर समाप्त की जा सकती है परन्तु ग्रामीण सड़कों हेतु 13 खण्ड बने रह सकते हैं।

5. वर्तमान में लो0नि0वि0 में कुल 35 वृत्त हैं। खण्डों की संख्या उक्तानुसार सीमित किये जाने के क्रम में वृत्तों की संख्या भी 25–26 तक सीमित की जा सकती है जिसमें वाह्य सहायतित योजना अंतर्गत क्रियान्वयनाधीन कार्यों/योजनाओं को समाप्ति पर सम्बन्धित वृत्तों एवं खण्डों सम्बन्धी पद भी समाप्त/समायोजित किये जाने होंगे। इस सम्बन्ध में निम्नानुसार सुझाव अवलोकनीय व विचारणीय है :–

ग्रामीण सड़क (पी0एम0जी0एस0वाई0 सहित)	–	06 वृत्त
ओ0डी0आर0/डी0आर0/राज्य राजमार्ग	–	03 वृत्त
राष्ट्रीय राजमार्ग	–	02 वृत्त
वि0/यां0 वृत्त	–	02 वृत्त
नियोजन, अनुश्रवण एवं गुणवत्ता नियंत्रण	–	01 वृत्त
ए0डी0बी0	–	04 वृत्त
विश्वबैंक	–	03 वृत्त
सेतु/पुल एवं रोपवे वृत्त	–	01 वृत्त
भवन निर्माण	–	02 वृत्त
स्टाफ आफीसर (विभागाध्यक्ष के)	–	02 वृत्त
योग	–	**26 वृत्त**

6. मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के 03 पद एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–2 के 07 नियमित संवर्गीय एवं 04 निःसंवर्गीय कुल 11 पद स्वीकृत हैं। मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के केवल 02 पद ही रखे जा सकते हैं जिसमें एक पद राज्य सैक्टर (केंद्र पोषित सहित) के कार्यों के लिए हो तथा 01 पद वाह्य सहायतित योजनाओं के लिए होगा।

मुख्य अभियन्ता स्तर–2 के कुल अधिकतम 06 पद रखे जा सकते हैं जिसमें 01 पद ग्रामीण सड़कों/पी0एम0जी0एस0वाई0 के लिए, 03 पद राज्य पोषित एवं केन्द्रांश पोषित कार्यों के लिए क्षेत्रवार, 01 पद राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए तथा 01 पद वाह्य सहायतित योजनाओं के लिए (विश्व बैंक एवं ए0डी0बी0 आदि) नियत किया जा सकता है।

7. ग्रामीण निर्माण विभाग (ग्रामीण अभियंत्रण विभाग) का लो0नि0वि0 के साथ एकीकरण कर दिया जाय। ग्रामीण छोटी–छोटी सम्पर्क अन्तिम मील की सड़कों जो 01 से 1½ कि0मी0 लम्बाई की हों एवं ग्रामों के आंतरिक सड़कों सम्बन्धी अधिकांश कार्य मनरेगा से कराये जा सकते हैं। केंद्रीय एवं राज्य वित्त आयोग से प्राप्त निधियों से भी तत्सम्बन्धी विभिन्न अवस्थापना निर्माण कार्य ग्रामीण पंचायतों द्वारा किया जाता है अतः इस हेतु वित्त पोषण राज्य सरकार से करने की कदाचित विशेष आवश्यकता नहीं रहेगी।

8. ई0पी0सी0 पद्धति से निर्माण कार्य सम्पन्न कराये जाने एवं इनकी प्रगति व गुणवत्ता आदि के लिए परामर्शी सेवाएं प्राप्त करने की व्यवस्था अपनाए जाने हेतु वित्तीय प्रशासनिक एवं विधिक दृष्टि से यथोचित मानक निविदा प्रपत्र/अभिलेख सहित अनुबंधों के प्रपत्र व नियम/शर्तें बना ली जाएं। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर सहित अन्य राज्यों/संस्थाओं के सम्बन्धित अभिलेख, शर्तों व नियमों का अध्ययन करते हुए प्रभावी, व्यावहारिक व विधिक/वित्तीय दृष्टि से उपयुक्त अभिलेख/प्रपत्र तैयार करा लिये जायें।

9. विभाग में विधि परामर्शी के रूप में पृथक पद रखने का कोई औचित्य नहीं है। शासन में न्याय विभाग/विधि परामर्शी हैं जो शासकीय वादों में परामर्श देते हैं तथा शासकीय अधिवक्तओं की सहायता न्यायालय वादों के प्रतिवाद आदि हेतु प्राप्त रहती है। उल्लेखनीय है कि सभी पद रिक्त बताये गये हैं। इसी प्रकार विधि सहायक के पद भी समाप्त किये जा सकते हैं जोकि रिक्त भी बताये गये हैं।

10. खण्डों व वृत्तों की संख्या पुनरीक्षित करने के क्रम में तदानुसार कनिष्ठ अभियन्ताओं के पद भी अनुपातिक/समुचित स्तर तक सीमित किये जाने चाहिए। विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता सिविल के नियमित 888 पद तथा निःसंवर्गीय (संविदा आधारित) 184 पद स्वीकृत बताए गये हैं। तदानुसार कनिष्ठ अभियन्ताओं के पद लगभग 500–600 तक सीमित किये जा सकते हैं। कनिष्ठ अभियन्ता से नीचे के स्तर के अन्य तकनीकी संवर्ग के पदों की संख्या भी तदानुसार सीमित की जानी चाहिए। प्रत्येक विकासखण्ड हेतु एक–एक कनिष्ठ अभियन्ता का पद भी रहे जो अपने निकटतम लो0नि0वि0 खण्ड के प्रशासनिक नियंत्रधाधीन रहें। यह कनिष्ठ अभियन्ता ग्राम्य विकास सम्बन्धी कार्यों, ग्राम

पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों के सिविल कार्यों में सहयोग, यथा आगणन बनाना, तकनीकी पर्यवेक्षण आदि करेगा। अभी लघु सिंचाई विभाग से विकासखण्ड पर कनिष्ठ अभियन्ता की व्यवस्था है जो तदानुसार समाप्त कर दी जाय।

11. लिपिकीय संवर्ग के विभिन्न स्तर के पदों की संख्या न्यूनतम वास्तविक आवश्यकतानुसार सीमित की जानी चाहिए एवं लागू स्टाफिंग पैटर्न पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार वैयक्तिक सहायक संवर्ग के सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जाय।

(45) ग्रामीण निर्माण विभाग (ग्रामीण अभियत्रंण विभाग)

विभाग के पुनर्गठित ढांचे के क्रम में 31.12.2016 की स्थिति अनुसार स्वीकृत व कार्यरत पदों का विवरण निम्नानुसार ज्ञात कराया गया है–

क्र0 सं0	श्रेणी/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	मुख्य अभियन्ता स्तर–1/ 10000	01	01	–	
2.	मुख्य अभियन्ता स्तर–2/ 7600	01	01	–	
3.	अधीक्षण अभियन्ता/6600	05	05	–	
4.	अधिशासी अभियन्ता (सि0)/ 6600	22	22	–	
5.	अधिशासी अभियन्ता (वि0)/ 6600	01	01		
6.	सहायक अभियन्ता (सि0)/ 5400	84	71	13	
7.	सहायक अभियन्ता (वि0)/यां0)/5400	05	02	03	
8.	कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सि0)/ 4600	302	130	172	कुछ कनिष्ठ अभियन्ता लो.नि.वि. में प्रतिनियुक्ति पर
9.	क0 अभि0/अपर सहा0अभि0 (वि0/यां0)/4600	20	06	14	
10.	क0 अभि0 (प्रा0)/4200	26	13	13	
11.	वित्त नियंत्रक	01	–	01	वित्त सेवा संवर्ग
12.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ 5400	04	–	04	लिपिक संवर्ग
13.	वरिष्ठ प्रशा0 अधि0/4800	22	19	03	–तदैव–
14.	प्रशा0 अधि0/4600	22	16	06	–तदैव–
15.	मुख्य सहायक/प्रधान	39	26	13	

क्र0 सं0	श्रेणी/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
	सहायक/4200				
16.	प्रवर सहायक/2800	61	20	41	
17.	कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर/2000	70	62	08	–तदैव–
18.	सहायक लेखाधिकारी/4800	01	01	–	वित्त सेवा संवर्ग
19.	लेखाकार/4200	01	–	01	वित्त लेखा संवर्ग
20.	सहायक लेखाकार/2800	01	–	01	वित्त लेखा संवर्ग
21.	प्रभागीय लेखाधिकारी/लेखाकार	20	07	13	महालेखाकार संवर्ग से
22.	मानचित्रकार/4200	20	11	09	
23.	अनुसेवक/1800	08	01	07	मृत संवर्ग
24.	वैयक्तिक अधिकारी/4600	04	02	02	
25.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहा0/4200	09	09	–	
26.	वैयक्तिक सहायक/2800	16	05	11	
27.	जीप चालक/ट्रक चालक/ ट्रैक्टर चालक/1900	16	12	04	
28.	ट्रक/ट्रैक्टर चालक/1900	02	02	–	
29.	रोड रोलर चालक/1900	01	01	–	
30.	कार चालक/1900	01	01	–	
31.	क्लीनर/1800	06	05	01	
32.	चपरासी/चौकीदार/पत्रवाहक/ स्वच्छक/1800	100	61	39	
	योग	**893**	**514**	**379**	

वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभाग का वेतन सम्बन्धी व्यय भार रू0 28.30 करोड़ रहा है। यदि रिक्त पद भी पूर्ण भर जाते तो विभाग का कुल वेतन सम्बन्धी व्यय 2015–16 की दर पर लगभग रू0 20.87 करोड़ अतिरिक्त होता। सातवें पुनरीक्षित वेतन अंतर्गत वेतन सम्बन्धी व्यय भार भरे पदों के सापेक्ष लगभग रू0 32.55 करोड़ तथा सभी पद भरे होने की स्थिति में लगभग रू0 56.55 करोड़ आंकलित होता है। यहां उल्लेखनीय है कि विभाग का ढांचा दिनांक 03.08.2015 को ही पुनर्गठित किया गया है जिसमें 103 अतिरिक्त पद सृजित किये गये। मुख्यतः

कनिष्ठ अभियन्ता (सि0) एवं सहायक अभियन्ता (सि0) के पद (क्रमशः 70 व 17) बढ़ाये गये। अतिरिक्त पद अस्थाई रूप से बढ़ाये गये हैं। विभाग द्वारा वर्ष 2015–16 में कुल लगभग रू0 235.97 करोड़ के कार्य सम्पादित किये जबकि इन पर कुल उपलब्ध धनराशि लगभग रू0 359. 80 थी। विभाग पर मुख्यतः भवनों का निर्माण कार्य है जैसा कि वर्ष 2015–16 में विभाग को कुल 3143 भवन, 58 पुल तथा 385.414 कि.मी. मार्ग निर्माण का कार्य था जिसके सापेक्ष 1984 भवन, 40 पुल व 118.088 कि0मी0 मार्ग का कार्य पूर्ण किया जाना सूचित किया गया है। स्पष्ट है कि विभाग पर भवन निर्माण का कार्य कार्यदायी संस्था के रूप में मिला होगा। प्रदेश में कई कार्यदायी संस्थाएं कार्यरत हैं जिनमें से जल निगम घाटे में चल रहा है (घाटे में रहने का एक प्रमुख कारण वेतन अधिष्ठान व्यय के लिए सेन्टेज से आवश्यक आय की प्राप्ति हेतु पर्याप्त कार्य न होना बताया जाता रहता है) जबकि अवस्थापना विकास निगम (अब कदाचित बिडकुल) पर भी कदाचित पर्याप्त कार्य नहीं होने की अपुष्ट जानकारी हुई है।

यह भी अवलोकनीय है कि विगत 2–3 वर्ष पूर्व शासन द्वारा ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग का सृजन किया था और इस हेतु कतिपय पद सृजित किये गये थे। बाद में दिसम्बर, 2016 में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में ही उक्त नये विभाग का कार्य व पद समाहित कर दिये गये और दो पद समाप्त किये गये व एक पद का दायित्व पदेन रूप से सम्पादित करने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार ग्रामीण निर्माण विभाग पर लो0नि0वि0/पी0एम0जी0एस0वाई0 के अंतर्गत बनी सड़कों से जोड़ने हेतु 1.5 कि0मी0 से अनधिक दूरी के गांवों को जोड़ने वाले अन्तिम हिस्से के मार्ग निर्माण का कार्य सौंपा गया है।

प्राप्त सूचनाओं के परिपेक्ष्य में कार्यवाही हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

1. ग्रामीण निर्माण विभाग को लो0नि0वि0 में समाहित करने पर विचार किया जाय। इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 हेतु संस्तुत बिन्दुओं अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।
2. कार्यरत कार्मिकों को लो0नि0वि0 विभाग में व अन्य विभागों में समायोजित किया जाय।

(46) सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई विभाग

(क) सिंचाई

सिंचाई विभाग में समूह क एवं समूह ख के कतिपय पदों की स्थिति 12 जून, 2017 अनुसार निम्नवत् सूचित की गई है:–

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	प्रमुख अभियन्ता/	01	–	01	प्रभारी के रूप में कार्यरत
2.	मुख्य अभियन्ता स्तर–1/10000	01	–	01	

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
3.	मुख्य अभियन्ता स्तर–2 (सिविल)/8900	06	06	–	
4.	मुख्य अभियन्ता स्तर–2 (यांत्रिक)/8900	01	–	01	प्रभारी के रूप में तैनाती है
5.	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)/ 7600	25	16	09	
6.	अधी0 अभियन्ता (यांत्रिक)/ 7600	05	04	01	
7.	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)/ 6600	79	74	05	
8.	अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक)/ 6600	13	08	05	
9.	शोध अधिकारी/6600	06	06	–	
10.	सहा0 अभियन्ता (सिविल)/ 5400	356	280	76	
11.	सहा0 अभियन्ता (यांत्रिक)/ 5400	53	25	28	
12.	उपराजस्व अधिकारी/5400	13	8	05	
13.	सहायक शोध अधिकारी/5400	18	11	07	
14.	वित्त नियंत्रक	01	01	–	वित्त सेवा संवर्ग से
14.	विधि अधिकारी/आउटसोर्सिंग	01	–	01	नियत मानदेय पर
	योग	**579**	**439**	**140**	

समूह 'ग' सम्बन्धी संवर्ग में (लिपिक व वैयक्तिक सहायक संवर्ग में उच्चतम पद पर प्रोन्नति के पद सहित) पदों की सूचना निम्नवत् बताई गई है:–

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	मुख्य प्रशासनिक अधि0/5400	93	93	–	प्रोन्नति पद
2.	मुख्य वैयक्तिक अधि0/5400	07	07	–	तदैव
3.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)/ 4600	906	526	380	91 पद प्रोन्नति के
4.	कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक)/4600	150	62	88	53 पद प्रोन्नति के
5.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/ 4800	123	123	–	प्रोन्नति पद (मु0अ0/ मण्डलीय/ खण्डीय संवर्ग अलग–अलग)
6.	प्रशासनिक अधिकारी/4600	123	123	–	–तदैव–
7.	प्रधान सहायक/4200	278	186	92	–तदैव–
8.	वरिष्ठ सहायक/2800	433	219	214	–तदैव–
9.	कनिष्ठ सहायक/2000	496	409	87	125 पद प्रोन्नति के, मु. अ./मण्डलीय/खण्डीय संवर्ग अलग–अलग
10.	वैयक्तिक अधिकारी/4600	17	12	05	प्रोन्नति पद

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
11.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक/ 4200	41	18	23	–तदैव–
12.	वैयक्तिक सहायक/2800	51	06	45	
13.	खण्डीय लेखाकार/4200	46	46	–	
14.	संगणक/4600	64	64	–	प्रोन्नति पद
15.	प्रारूपकार/4200	215	111	104	सीधी भर्ती के पद
16.	जिलेदार/2800	41	24	17	पदोन्नति पद
17.	सींच पर्यवेक्षक/2400	123	100	23	–तदैव–
18.	सींचपाल/1900	264	146	118	सीधी भर्ती पद
19.	राजस्व अधीक्षक/4800	02	–	02	प्रोन्नति पद
20.	वरिष्ठ मुख्य राजस्व सहायक ग्रेड–1/4600	05	05	–	–तदैव–
21.	वरिष्ठ मु0 राजस्व सहा0 ग्रेड–2/4200	13	10	03	–तदैव–
22.	मुख्य राजस्व सहायक/2800	16	04	12	–तदैव–
23.	राजस्व सहायक/2000	19	07	12	सीधी भर्ती पद
24.	शोध पर्यवेक्षक/4200	56	33	23	प्रोन्नति पद
25.	वैज्ञानिक सहायक/2800	48	24	24	–तदैव–
26.	प्रतिरूप सहायक/1900	48	34	14	सीधी भर्ती पद
27.	मेट/1900	552	600	–48	
28.	कार्य पर्यवेक्षक/2000	39	52	–13	
29.	पुस्तकालयाध्यक्ष/2800	02	02	–	
30.	नलकूप मिस्त्री/2400	65	14	51	
31.	नलकूप चालक/1900	331	301	30	
32.	वरिष्ठ भण्डारपाल/2800	07	07	–	प्रोन्नति पद
33.	भण्डारपाल/2400	12	06	06	–तदैव–
34.	सहायक भण्डारपाल/1900	20	07	13	सीधी भर्ती पद
35.	लिफ्ट मिस्त्री/2400	23	–	23	
36.	फिटर/1800	12	04	08	
37.	वैल्डर/1900	09	03	06	
38.	इलैक्ट्रीशियन/विद्युतकार/ 1900	11	04	07	
39.	मैकेनिक/1900	01	01	–	
40.	टर्नर/1800	09	04	05	
41.	हैमर मैन/ब्लैक स्मिथ/1800	05	01	04	
42.	ड्रिलर/1900	03	03	–	
43.	रीगर/1800	01	01	–	
44.	पैटर्न मेकर/2800	01	01	–	
	योग	**4930**	**3516**	**1414**	

समूह 'घ' में पदों की सूचना निम्नानुसार सूचित की गई है:-

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	दफ्तरी/1800	16	13	3	पदोन्नति द्वारा
2.	अनुसेवक/1800	628	555	73	
3.	चौकीदार/1800	265	264	01	
4.	रनर/1800	347	320	27	
5.	हैल्पर/1800	67	63	04	
6.	वर्कन्दाज/1800	160	153	07	
7.	ट्रक क्लीनर/1800	10	10	–	
8.	वाटर मैन/1800	49	46	03	
9.	पम्प ऑपरेटर/1800	46	46	–	
10.	भण्डार परिचर/अनुचर/1800	05	04	01	
11.	गेट कीपर/1800	01	01	–	
12.	स्टोर सर्वर/1800	06	06	–	
13.	डी0डी0टी0 स्प्रेयर/1800	02	02	–	
14.	सुरक्षक/1800	20	12	08	
15.	मैकेनिक/1800	12	12	–	
16.	बढ़ई/1800	04	04	–	
17.	दफेदार/1800	02	02	–	
18.	टाईम कीपर/1800	01	01	–	
19.	मोटर मैकेनिक/1800	01	01	–	
20.	पेंटर/1800	01	01	–	
21.	लाईमा क्रेन ऑपरेटर/1800	01	–	01	
22.	फाउण्ड्री मैन/1800	01	–	01	
23.	टिन्डेल/1800	18	12	06	
24.	बेलदार/1800	405	401	04	
25.	माली/1800	16	12	04	
26.	सफाई कर्मी (जमादार)/1800	49	48	01	
27.	फैरोब्याय/1800	25	20	05	
28.	आबपासी/1800	31	31	–	
29.	चेनमैन/1800	01	01	–	
30.	मैसन (राजमिस्त्री)/1800	05	05	–	
31.	गेजरीडर/1800	22	22	–	
32.	हैडमाली/1800	01	01	–	
33.	पुस्तकालय अनुचर/1800	02	02	–	
34.	फेरो टाईपिस्ट/1800	01	01	–	
35.	डुप्लीकेटिंग ऑपरेटर/1800	02	02	–	
36.	लाईन मैन/1800	01	01	–	
37.	लेक्चर रूम अटैन्डेन्ट/1800	01	01	–	

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
38.	प्लम्बर/1800	02	02	–	
39.	कुक (रसोईया)/1800	01	01	–	
40.	सरनाई मैन/1800	01	01	–	
41.	आगणिन प्रधान/1800	01	01	–	
42.	आगणिन/1800	04	04	–	
43.	सफाई दरोगा/1800	01	01	–	
44.	एन्टी मलेरिया/1800	04	04	–	
45.	सहायक बैरा/1800	01	01	–	
46.	कम्प्रेशर चालक/1800	02	02	–	
47.	हवलदार/1800	03	03	–	
48.	सुरक्षा गार्ड/1800	20	20	–	
49.	सहायक मैकेनिक/1800	04	04	–	
50.	ऑपरेटर/1800	03	03	–	
51.	टेलीफोन अटैन्डेन्ट/1800	01	01	–	
52.	आर्म गार्ड//1800	01	01	–	
53.	महावत/1800	01	01	–	
54.	वाटर सप्लाई ऑपरेटर/1800	02	02	–	
55.	हैड मैकेनिक/1800	01	–	1	
56.	जमादार (पदोन्नति द्वारा)/1800	03	03	–	
57.	टेलीफोन ऑपरेटर/1800	02	02	–	
58.	एयर चालक/1800	02	02	–	
59.	खलासी/1800	01	01	–	
60.	कैनाल जमादार/1800	20	20	–	
	योग	**2306**	**2156**	**150**	

सिंचाई विभाग का पुनरीक्षित संरचनात्मक ढांचा शासनादेश दिनांक 01.08.2016 द्वारा स्वीकृत होने के क्रम में शासन की अनुमति दिनांक 05.09.2016 से विभाग में विभिन्न स्तर के कार्यालयों की स्थिति निम्नानुसार पाई गई है:–

1. प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, देहरादून
2. मुख्य अभियन्ता स्तर–I कार्यालय (हल्द्वानी स्थित मुख्य अभियन्ता, कुमायूं के पूर्व कार्यालय को मुख्य अभियन्ता स्तर–I हल्द्वानी के रूप में बनाया गया है)।
3. मुख्य अभियन्ता स्तर–II के 07 कार्यालय (01 यांत्रिक, 01 प्रशिक्षण व 01 परिकल्प एवं अनुसंधान सहित)।
3. अधीक्षण अभियन्ता स्तर के कुल 22 कार्यालय (प्रदेशीय अभियन्ता प्रशिक्षण संस्थान, रूड़की के अपर निदेशक स्तरीय 02 पद सहित)।

4. खण्डों की संख्या (प्रशिक्षण संस्थान के उप निदेशक पद सहित) 77 हैं जिसमें पी0एम0जी0एस0वाई के कुल 16 खण्ड, परिकल्प/अनुसंधान संस्थान के 06 खण्ड/ईकाईयां, प्रशिक्षण के 02 उपनिदेशक तथा यांत्रिक के 13 खण्ड सम्मिलित हैं। कदाचित 10 से अधिक खण्ड निक्षेप कार्यों हेतु गठित हैं जो उक्त 77 के अन्तर्गत हैं।

विभाग से प्राप्त आर्गेनोग्राम सम्बन्धी विवरण अनुसार प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में वित्त नियंत्रक के अतिरिक्त 05 अधीक्षण अभियन्ता, वरिष्ठ स्टाफ आफीसर के पद हेतु नियत हैं जिन्हें क्रमशः कार्मिक–1, कार्मिक–2, बजट, नियोजन एवं विधि कार्य आवंटित होना इंगित है। उक्त के अतिरिक्त 04 अधिशासी अभियन्ता भी स्टाफ आफीसर के रूप में नियत हैं जबकि 13 सहायक अभियन्ता भी स्टाफ अधिकारियों के अधीन नियत हैं। मुख्य अभियन्ता स्तर–1 (हल्द्वानी) के अधीन तीन मण्डल, क्रमशः सिंचाई कार्य मण्डल, उधमसिंहनगर व हल्द्वानी तथा जमरानी परियोजना मण्डल, हल्द्वानी हैं। इन तीन मण्डलों के अधीन 08 खण्ड (06 सिंचाई खण्ड व 02 जमरानी बांध परियोजना खण्ड) है और एक खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0 नैनीताल खण्ड भी इसके अन्तर्गत इंगित है। सात मुख्य अभियन्ता स्तर 02 हैं जिनमें एक पद परिकल्प (design) कार्य व निदेशक सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की के निदेशक का है और एक पद अभियन्ता प्रशिक्षण अकादमी, रूड़की का है जबकि एक पद यांत्रिक शाखा का है। उक्त स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि मुख्य अभियन्ता स्तर–1 एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–2 के पद का कार्य/दायित्व समान है। मुख्य अभियन्ता स्तर–2 के पद/कार्यालय क्षेत्रवार क्रमशः अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार व श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) के सिंचाई कार्यों (यांत्रिक शाखा के अतिरिक्त) हेतु नियत हैं और मुख्य अभियन्ता स्तर 1 का पद/कार्यालय सिंचाई कार्यों व जमरानी परियोजना निर्माण के लिए हल्द्वानी क्षेत्र के लिए नियत है।

सिंचाई विभाग का 2015–16 का वेतन सम्बन्धी व्यय लगभग रू0 291 करोड़ है जो सातवें पुनरीक्षित वेतन अन्तर्गत लगभग रू0 335 करोड़ होता है। सभी पद भरे होने की दशा में 2015–16 में वेतन व्यय भार लगभग रू0 372 करोड़ होता जो सातवें पुनरीक्षित वेतन अंतर्गत रू0 428 करोड़ आंकलित होता है।

(ख) लघु सिंचाई विभाग

लघु सिंचाई विभाग में दिसम्बर 2016 की स्थिति अनुसार पदों का विवरण निम्नवत् बताया गया है–

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	मुख्य अभियन्ता/8900	01	01	01	स्तर–2
2.	अधीक्षण अभियन्ता/7600	04	04	–	
3.	अधिशासी अभियन्ता/6600	14	14	–	13 जनपदीय, 01 स्टाफ अधिकारी

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
4.	सहायक अभियन्ता/5400	38	19	19	
5.	कनिष्ठ अभियन्ता/4600	145	114	31	
6.	बोरिंग टेक्नीशियन/2400	24	24	–	
7.	सहा0 बोरिंग टैक्नीशयिन/1900	46	17	29	
8.	खण्डीय लेखाकार/4800	13	05	08	
9.	प्रारूपकार/4200	13	11	02	
10.	अनुरेखक/1800	05	–	05	मृत संवर्ग घोषित
11.	मुख्य प्रशा0 अधि0/5400	06	–	06	
12.	वरिष्ठ प्रशा0 अधि0/4800	08	08	–	
13.	प्रशा0 अधि0/4600	08	07	01	
14.	वैयक्तिक अधि0/	03	–	03	
15.	वरिष्ठ वैय0 सहा0/	06	06	–	
16.	वैयक्तिक सहायक/	09	06	03	
17.	प्रधान सहायक/4200	18	15	03	
18.	वरिष्ठ सहायक/2800	28	27	01	
19.	कनिष्ठ सहायक/2000	31	21	10	
20.	वाहन चालक/1900	26	21	05	मृत संवर्ग घोषित
21.	अमीन/सींचपाल/1900	08	04	04	मृत संवर्ग घोषित
22.	अनुसेवक/1800	85	72	13	
	योग	**539**	**396**	**143**	

लघु सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आर्गेनोग्राम अनुसार मुख्य अभियन्ता के अधीन चार लघु सिंचाई वृत्त क्रमशः टिहरी, पौड़ी, हल्द्वानी एवं पिथौरागढ़ हैं तथा 01 पद स्टाफ अधिकारी का है। वृत्तों के अधीन 13 लघु सिंचाई खण्ड व 35 उपखण्ड हैं। टिहरी वृत्त के अधीन देहरादून, टिहरी, हरिद्वार व उत्तरकाशी; पौड़ी वृत्त के अधीन पौड़ी, चमोली व रूद्रप्रयाग, हल्द्वानी वृत्त के अधीन नैनीताल, अल्मोड़ा व उधमसिंहनगर एवं पिथौरागढ़ वृत्त के अधीन पिथौरागढ़, बागेश्वर, व चम्पावत खण्ड हैं।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में वेतन सम्बन्धी कुल व्यय लगभग रू0 20.97 करोड़ सूचित किया गया है। सभी पद भरे होने की दशा में यह व्यय लगभग रू0 28.54 करोड़ होता जो सातवें पुनरीक्षित वेतनमान में लगभग रू0 32.82 करोड़ होता है। भरे पदों के सापेक्ष सातवें पुनरीक्षित वेतन अंतर्गत वेतन व्यय भार लगभग रू0 24 करोड़ होता।

उल्लेखनीय है कि कनिष्ठ अभियन्ता के 01–01 पद प्रत्येक विकासखण्ड के लिए (कुल 95), तथा शेष खण्डीय कार्यालय के स्टोर, 02 वृत्त कार्यालयों, मुख्य अभियन्ता कार्यालय एवं उपखण्डों के लिए क्रमशः 13, 02, 01 व 34 पद हैं।

विभाग द्वारा कदाचित वर्ष 2014 (24.07.2014) में शासन को विभागीय ढांचे के पुनर्गठन का प्रस्ताव भेजा गया है जिस पर हुई प्रगति की जानकारी समिति को नहीं है। विभाग द्वारा 130 अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव रखा गया था।

उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 में सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग अलग–अलग सृजित व कार्यरत हैं। उत्तराखण्ड में भी लघु सिंचाई विभाग अस्तित्व में आया परन्तु कालान्तर में इसे सिंचाई विभाग के साथ संविलीन करने के विचार के साथ इसका पृथक अस्तित्व समाप्त किया गया परन्तु कुछ समय बाद यह एक पृथक विभाग के रूप में पुनः स्थापित हुआ है। अभियंत्रण स्टाफ की शैक्षिक अर्हता में कृषि अभियंत्रण इस विभाग में अतिरिक्त रूप से सेवा नियमावली में स्पष्ट इंगित है जिसमें 50 प्रतिशत पद पर सीधी भर्ती की व्यवस्था है जबकि सिविल अभियंत्रण में 30 प्रतिशत व यांत्रिक अभियंत्रण में 20 प्रतिशत पद सीधी भर्ती हेतु नियत किये गये हैं। चूंकि उत्तराखण्ड में सिंचाई विभाग पर अधिकांश कार्य लघु सिंचाई प्रकृति का ही है एवं लघु सिंचाई विभाग द्वारा सामान्यतया लघु आधार की सामूहिक सिंचाई योजनाएं एवं व्यक्तिगत सिंचाई/नलकूप स्थापना/वोरिंग सम्बन्धी कार्य किया जाता है अतः कृषि अभियंत्रण अर्हता को बनाए रखने की आवश्यकता के विषय पर नीतिगत निर्णय लेते हुए तथा सामूहिक लघु सिंचाई योजनाओं व व्यक्तिगत नलकूप/वोरिंग योजनाओं हेतु नीतिगत विचार करते हुए लघु सिंचाई विभाग व सिंचाई विभाग का एकीकरण राज्य की कुल कृषि भूमि/सिंचाई की आवश्यकता और भारत सरकार की नई नीतियों व योजनाओं यथा more crop per drop एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि के साथ सामूहिक/निजी लघु सिंचाई योजनाओं को समाहित करते हुए किया जाना चाहिए। तदानुसार सिंचाई विभाग में राजकीय व्यवस्था की सिंचाई व लघु सिंचाई कार्यों के अतिरिक्त सामूहिक लघु सिंचाई योजनाओं तथा निजी नलकूल/वोरिंग योजनाओं के लिए यथोचित संख्या में उचित चिन्हित स्थानों पर उपखण्डों की व्यवस्था माध्यम एकीकरण किया जा सकता है। वर्तमान में लघु सिंचाई विभाग में कार्यरत कार्मिकों (नियमित तथा संविदा/आउटसोर्स सभी) की यथा आवश्यकता सिंचाई विभाग अथवा अन्य विभागों में समायोजन की कार्यवाही की जा सकती है। कृषि अभियंत्रण अर्हताधारी यथा आवश्यक पदों संवर्ग की व्यवस्था कृषि विभाग अंतर्गत की जा सकती है जहां लघु सिंचाई के वर्तमान कार्यरत पदधारकों का समायोजन किया जा सकता है एवं आगे भर्ती की यथोचित व्यवस्था इस हेतु नई सेवा नियमावली माध्यम की जा सकती है।

उक्त स्थिति में लघु सिंचाई विभाग के ढांचे या युक्तिकरण व सही आकार पर पृथक से संस्तुति की आवश्यकता व औचित्य नहीं है। सिंचाई विभाग के ढांचे के युक्तिकरण व सही आकार के साथ इस सम्बन्ध में संस्तुति की जा रही है। कृषि अभियंत्रण सम्बन्धी अर्हता वाले आवश्यक कार्यों हेतु कृषि विभाग के ढांचे के युक्तिकरण के साथ संस्तुति की गई है।

उपरोक्तानुसार सिंचाई विभाग में 7815 पद एवं लघु सिंचाई विभाग में 539 पद सृजित है (कुल पद 8354) जिसके सापेक्ष कार्यरत पद क्रमशः 6111 व 396 कुल 6507 हैं। सिंचाई व लघु सिंचाई विभाग का कार्यदायित्व व कार्यक्षेत्र समान प्रकृति का है, अतः सिंचाई सम्बन्धी क्रियाकलापों हेतु दो के स्थान पर एक ही विभाग रखा जाना उचित होगा जो राज्य सरकार के जल संसाधन नामक एकीकृत मंत्रालय/विभाग के अधीन रहे। जल संसाधन मंत्रालय में पेयजल, सिंचाई व स्वच्छता सम्बन्धी सभी कार्य एक ही मंत्री व सचिवालय स्तर पर एक प्रमुख सचिव/सचिव के अंतर्गत रहें।

प्राप्त सूचनाओं एवं उपरोक्त विचार के दृष्टिगत निम्नलिखित कार्यवाही बिन्दु विचारणीय हैं:–

1. सिंचाई व लघु सिंचाई विभाग को एकीकृत कर एक ही विभाग जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत बनाया जाना चाहिए। लघु सिंचाई से सम्बन्धित निःशुल्क बोरिंग, अत्यंत छोटी सामुदायिक व एकल कृषक सम्बन्धी लघु सिंचाई योजनाओं का क्रियान्वयन/सम्पादन सम्बन्धित एकीकृत सिंचाई खण्डों द्वारा ही कराया जाय व एकल तथा अत्यंत न्यून/लघु सामुदायिक सिंचाई योजनाओं को मनरेगा या ग्राम सभा फण्ड (वित्त आयोग आदि अनुदान) से कराया जाय।

2. वर्तमान में सिंचाई विभाग में 77 खण्ड (प्रशिक्षण संस्थान में उप निदेशक के 02 पदों सहित) हैं तथा 92 अधिशासी अभियन्ता के पद सृजित हैं (यांत्रिक शाखा सहित) जबकि लघु सिंचाई में कुल 14 पद अधिशासी अभियन्ता के हैं जो जनपदीय 13 खण्डों के अधिशासी अभियनता तथा मुख्य अभियन्ता के 01 सटाफ आफीसर के रूप में व्यवस्थित हैं। उल्लेखनीय है कि सिंचाई विभाग में 16 खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0 के लिए तथा 10 से अधिक खण्ड निक्षेप कार्यो हेतु हैं जबकि लो0नि0वि0 में भी 13 खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0 के लिए हैं। पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्डों की व्यवस्था लो0नि0वि0 में ही रहनी चाहिए तथा सिंचाई में ऐसे खण्ड समाप्त कर दिये जाने चाहिए और सिंचाई विभाग के सम्बन्धित/कार्मिक से सेवा स्थानान्तरण के रूप में पी0एम0जी0एस0वाई0 का कार्य लो0नि0वि0 के अधीन सम्बन्धित खण्डों से ही कराया जाय। निक्षेप कार्यों को भी जनपदीय सामान्य खण्ड से कराया जाना चाहिए। तदानुसार सिंचाई व लघु सिंचाई के एकीकृत संगठन में अधिकतम 50 से 55 खण्ड रखे जायें जिसमें 04 खण्ड परिकल्प रूड़की, 04 खण्ड अनुसंधान खण्ड रूड़की, 02 खण्ड जल विज्ञान, बहादराबाद, रूड़की, 02 उप निदेशक प्रशिक्षण संस्थान 07–08 खण्ड नलकूप/लघुजल (यांत्रिक) सहित प्रत्येक जनपद में औसत 02 खण्डों (कहीं कहीं 03 भी हो सकते हैं) की व्यवस्था रखने पर विचार किया जाय। तीन या चार खण्ड विशेष रूप से भूगर्भ जल सहित विभिन्न जल

संसाधनों/स्रोतों (पेयजल सहित) के अध्ययन, अनुसंधान व नियोजन सम्बन्धी कार्य हेतु रखे जायें जो नदियों व भूगर्भ जल सहित विभिन्न जल स्रोतों/संसाधनों के जलमात्रा तथा बहाव के आंकड़ों के एकत्रीकरण, आदि कार्य करें। उल्लेखनीय है कि ये आंकड़े बेहद उपयोगी होंगे तथा इससे कुछ हद तक आय भी प्राप्त की जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि राज्य में भूगर्भ जल संसाधन के लिए वर्तमान में कोई ठोस विधिक व उपयोगी व्यवस्था कदाचित स्थापित नहीं हो पाई है, जिस हेतु तत्काल व्यवस्था की जानी चाहिए।

3. सिंचाई विभाग में अधीक्षण अभियन्ता के 22 पद एवं लघु सिंचाई में 04 पद हैं। खण्डों की संख्या सीमित होने पर मण्डल की संख्या भी तदानुसार सीमित की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में अधिकतम 17–18 मण्डल (परिकल्प, अनुसंधान, जमरानी बांध, नलकूप, जल विज्ञान, प्रशिक्षण आदि सहित) रखे जा सकते हैं तथा अधीक्षण अभियन्ता के कुल 20–22 (स्टाफ अधिकारी सहित) पद रखे जाने चाहिए। सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में वर्तमान में वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी के रूप में 05 अधीक्षण अभियन्ता, स्टाफ अधिकारी के रूप में 04 अधिशासी अभियन्ता तथा 09 सहायक अभियन्ता नियत हैं। इसी प्रकार मुख्य अभियंता स्तर–1/स्तर–2 कार्यालयों में 04 वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी व 04 स्टाफ अधिकारी हैं। प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में कार्मिक कार्यों के लिए 02, बजट कार्य के लिए 01, नियोजन कार्य के लिए 01 तथा विधि सम्बन्धी कार्यों हेतु 01 वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी हैं। बजट का कार्य वित्त अधिकारी द्वारा पूर्णतः देखा जाना चाहिए और 02 वरिष्ठ स्टाफ आफीसर/स्टाफ आफीसर से बाकी कार्य देखा जा सकता है।

4. मुख्य अभियन्ता स्तर–2 के सिंचाई में 07 (यांत्रिक सहित) तथा लघु सिंचाई में 01 पद (विभागाध्यक्ष का) हैं। एकीकृत विभाग में परिकल्प/अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए 01–01 मुख्य अभियन्ता स्तर–2 सहित कुल 05 या 06 मुख्य अभियन्ता स्तर–2 एवं 02 मुख्य अभियन्ता स्तर–1 (एक कुमायूं व एक गढ़वाल हेतु) सहित प्रमुख अभियनता का 01 पद रखने पर विचार किया जा सकता है।

5. कनिष्ठ सहायक से लेकर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तक लिपिक संवर्ग में सिंचाई विभाग में कुल 1546 पद स्वीकृत हैं तथा 1153 पद भरे बताये गये हैं। लघु सिंचाई विभाग में इस संवर्ग में 99 पद स्वीकृत हैं एवं 78 पद भरे हैं। इस संवर्ग के पदों को अधिकतम 1000 तक सीमित करने की कार्यवाही न्यूनतम वास्तविक आवश्यकता अनुसार की जा सकती है। साथ ही स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था बनाए रखने पर पुनर्विचार किया जाय।

6. सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के 906 पद (कार्यरत 526) तथा कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) के 150 पद (कार्यरत 62) हैं तथा लघु सिंचाई विभाग में प्रत्येक

विकासखण्ड में 01 कनिष्ठ अभियनता के पद सहित कुल 145 पद हैं। खण्डों की संख्या सीमित करने की संस्तुति के क्रम में एकीकृत विभाग में अधिकतम 600 पद कनिष्ठ अभियन्ता सिविल व यांत्रिक के रखे जा सकते हैं। विकासखण्डों में ग्रामीण पंचायतों के कार्यों के आगणन आदि की कार्यवाही हेतु 95 कनिष्ठ अभियन्ता लो0नि0वि0 से व्यवस्थित किये जा सकते हैं। जिस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 अंतर्गत संस्तुति की गई है।

7. वैयक्तिक सहायक संवर्ग में सिंचाई विभाग में कुल 116 पद (कार्यरत 43) हैं जबकि लघु सिंचाई में 18 पद सृजित (कार्यरत 12) हैं। उक्तानुसार खण्डों, मण्डलों आदि की संख्या सीमित करने की संस्तुति के क्रम में इस संवर्ग में एकीकृत विभाग हेतु अधिकतम लगभग 80–90 पद रखे जा सकते हैं।

8. अनुसंधान एवं परिकल्प खण्डों की संख्या सीमित करने की संस्तुति के क्रम में शोध पर्यवेक्षक, वैज्ञानिक सहायक, सहायक शोध अधिकारी, प्रतिरूप सहायक आदि पदों को भी वास्तविक न्यूनतम आवश्यकतानुसार सीमित किया जाना चाहिए।

9. सिंचाई विभाग में रीगर, पैटर्न मेकर, मैकेनिक आदि कतिपय प्रकार के 01–01 पद हैं जिन्हें समाप्त करने पर विचार किया जाय तथा इलैक्ट्रिशियन, वैल्डर, हैमरमैन, टर्नर व ड्रिलर आदि सहित ऐसे पदों का कार्य यथा आवश्यकता निविदा/आउट सोर्सिंग से कराने और पद समाप्त करने पर विचार किया जाय।

10. सिंचाई विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कुल 2306 पद तथा लघु सिंचाई में अनुसेवक के 85 पद हैं। सिंचाई विभाग में बढ़ई, दफेदार, डी0डी0टी0 स्प्रेयर, गेट कीपर, सुरक्षा गार्ड, माली, सफाई कर्मी, मैसन, प्लम्बर, कुक आदि कतिपय पद से सम्बन्धित कार्य निविदा/आउट सोर्सिंग से कराया जा सकता है अतः ऐसे पद समाप्त किये जाने चाहिए। दफ्तरी, वाटरमैन आदि पदों का औचित्य नहीं है जिसे समाप्त किया जा सकता है। चतुर्थ श्रेणी में अनुसेवक, रनर, चौकीदार, हैल्पर, ट्रक क्लीनर आदि विभिन्न कार्यों के पद सृजित हैं। अधिकांश पद मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में नियोजित कार्मिकों से कराया जा सकता है। चतुर्थ श्रेणी में एकीकृत विभाग में कुल पद वास्तविक न्यूनतम आवश्यकतानुसार रखे जायें एवं शेष कार्य निविदा/आउटसोर्सिंग से कराये जा सकते हैं।

11. सिंचाई विभाग में मेट के 552 पद तथा बेलदार के 405 पद सृजित हैं। निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण के लिए नयी निविदा पद्धतियों/व्यवस्थाओं को अपनाने की स्थिति में अब मेट एवं बेलदार पदों की विशेष उपयोगिता प्रतीत नहीं होती। अतः इन पदों को फिलहाल शनैः शनैः कम करते हुए सीमित करने पर और प्रथम वर्ष में लगभग 100 पद समाप्त किये जाने पर विचार किया जाय।

(47) राजस्व विभाग

राजस्व विभाग अंतर्गत राजस्व परिषद, दो मण्डलायुक्त, 13 जनपद, 67 डिवीजन, 110 तहसील व 18 उप तहसील होना सूचित किया गया है। विभाग अंतर्गत विभिन्न ईकाईयों/कायालयों में कुल 8444 पद सृजित हैं जिसके सापेक्ष 5638 कार्यरत व 2806 रिक्त सूचित किये गये हैं। वर्ष 2015–16 में कुल वेतन सम्बन्धी व्यय लगभग रू0 251.27 करोड़ बताया गया है। यदि सभी पद भरे होते तो व्ययभार लगभग रू0 376.33 करोड़ होता जो सातवें पुनरीक्षित वेतन के दृष्टिगत भरे पदों के सापेक्ष प्रथम वर्ष का वेतन सम्बन्धी व्यय लगभग रू0 255 करोड़ होता जबकि सभी पद भरे होने की दशा में वेतन सम्बन्धी व्यय लगभग रू0 433 करोड़ होता है।

अधिष्ठानवार पदों से सम्बन्धित विवरण निम्नानुसार सूचित किया गया हैः–

राजस्व परिषद

क्र0	पद श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	अध्यक्ष/80000 नियत	01	01	–	
2.	आयुक्त एवं सचिव/8700 सदस्य न्यायिक	02	02	–	
3.	सदस्य न्यायिक/ 10000 (निसंवर्गीय)	01	01	–	अस्थाई निःसंवर्गीय (अंतिम आहरित वेतन–पेंशन)
4.	वित्त नियंत्रक/7600	01	01	–	वित्त सेवा संवर्ग
5.	वित्त अधिकारी (ऑडिट)/5400	01	–	01	वित्त सेवा संवर्ग
6.	उप राजस्व आयुक्त (प्रशासन)/6600	01	01	–	
7.	उप राजस्व आयुक्त (भूमि व्यवस्था)/ 6600	01	01	–	
8.	सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशासन) /6600	01	01	–	
9.	स्टाफ आफीसर/ 6600	01	01	–	
10.	वरिष्ठ निजी सचिव/6600	01	01	–	
11.	निजी सचिव/5400	01	01	–	
12.	अपर निजी सचिव/4800	01	01	–	
13.	वैयक्तिक सहायक/2800	05	–	05	
14.	अनुभाग अधिकारी/ 5400	06	05	01	
15.	समीक्षा अधिकारी/ 480	15	01	14	
16.	सहायक समीक्षा अधि0/4200	11	03	08	

क्र0	पद श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
17.	नायब तहसीलदार/ 4200	01	—	01	
18.	लेखाकार/4200	06	02	04	
19.	सहायक लेखाकार/2800	02	—	02	
20.	कनिष्ठ सहायक/2400	08	06	02	
21.	वाहन चालक/1900	04	03	01	
22.	अनुसेवक/1800	08	08	—	
	योग	**79**	**40**	**39**	

आयुक्त कार्यालय

क्र0	पद श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	आयुक्त/10000	02	02	—	
2.	अपर आयुक्त/6600	02	02	—	
3.	मुख्य प्रशासनिक अधि0/5400	02	01	01	
4.	वरिष्ठ प्रशा0 अधि0/4800	02	01	01	
5.	प्रशासनिक अधि0/ 4600	04	04	—	
6.	प्रधान सहायक/ 4600	06	06	—	
7.	वरिष्ठ सहायक/ 2800	07	07	—	
8.	कनिष्ठ सहायक/ 2000	08	07	01	
9.	वैयक्तिक अधिकारी/4600	02	02	—	
10.	वैयक्तिक सहायक/शिविर सहायक/2800	04	03	01	
11.	वाहन चालक/1900	04	04	—	
12.	अनुसेवक/1800	22	16	06	
13.	कम्प्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर/आउटसोर्सिंग	02	01	01	
	योग	**67**	**56**	**11**	

जिला/कलक्ट्री अधिष्ठान

क्र0	पद श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	जिलाधिकारी/7600	13	13	—	
2.	अपर जिलाधिकारी/6600	17	14	03	
3.	नगर मजिस्ट्रेट/ 6600	03	02	01	
4.	उपजिलाधिकारी/ 5400	84	76	08	
5.	तहसीलदार/5400	103	78	25	
6.	नायब तहसीलदार/4200	144	97	47	
7.	मुख्य प्रशा0 अधि0/5400	22	12	10	

क्र0	पद श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
8.	वरिष्ठ प्रशा0 अधि0/4800	113	101	12	
9.	प्रशा0अधि0/4600	114	101	13	
10.	प्रधान सहायक/ 4200	209	192	17	
11.	वरिष्ठ सहायक/2400	287	271	16	
12.	वरिष्ठ लिपिक (नायब नाजिर, ए0डब्ल्यू0वी0एन0) /2400	43	38	05	
13.	कनिष्ठ सहायक/ 2000	365	342	23	
14.	वैयक्तिक अधिकारी/4600	13	10	03	
15.	वैयक्तिक सहायक/ शिविर सहायक/ 2800	74	60	14	
16.	आशुलिपिक सह डाटा इंट्री ऑपरेटर/2400	01	01	–	
17.	डाटा एंट्री ऑपरेटर/ ज्यूडिशियल मोहर्रिर/2400	01	01	–	
18.	वाहन चालक/1900	188	126	62	
19.	अनुसेवक/1800	1064	499	565	
20.	इलैक्ट्रीशियन/1900	05	03	02	
21.	कम्प्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर	29	28	01	आउटसोर्सिंग
22.	आशुलिपिक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर	01	–	01	आउटसोर्सिंग
	योग	**2898**	**2070**	**828**	

संग्रह अधिष्ठान

क्र0	पद श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	संग्रह अमीन/2000	543	523	20	
2.	सहायक वासिल वाकी नवीस/2000	37	36	01	
3.	अनुसेवक/1800	543	491	52	
	योग	**1123**	**1050**	**73**	

भूलेख अधिष्ठान

क्र0	पद श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	सहायक भूलेख अधिकारी/4200	13	08	05	
2.	राजस्व निरीक्षक/ 4200	128	80	48	
3.	राजस्व निरीक्षक (मैदानी)/4200	34	28	06	
4.	रजिस्ट्रार कानूनगो/2800	155	117	38	तहसीलों में

5.	पर्यवेक्षक कानूनगो / 4200	01	01	–	
6.	राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) / 2800	1216	826	390	रिक्त पदों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षणरत
7.	राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) / 2800	428	288	140	
8.	वाहन चालक / 1900	39	35	04	
9.	राजस्व अनुसेवक / 1800	1414	669	745	
	योग	**3428**	**2052**	**1376**	

भूमि अध्याप्ति ईकाई

क्र0	पद श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	विशेष भूमि अध्याप्ति अधि0 / 5400	04	04	–	
2.	नायब तहसीलदार / 4200	04	03	01	
3.	अमीन / 2000	33	24	09	
4.	प्रशासनिक अधिकारी / 4600	07	05	02	
5.	प्रधान सहायक / 4200	07	03	04	
6.	वरिष्ठ सहायक / 2800	11	06	05	
7.	कनिष्ठ सहायक / 2000	13	09	04	
8.	वाहन चालक / 1900	03	01	02	
9.	चेनमैन / 1800	05	04	01	
10.	अनुसेवक / डाक रनर	31	15	16	
	योग	**118**	**74**	**44**	

चकबंदी अधिष्ठान

क्र0	पद श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी / 5400	04	02	02	
2.	चकबंदी अधिकारी / 5400	08	07	01	
3.	सहायक चकबंदी अधिकारी / 4200	28	09	19	
4.	चकबंदी कर्ता / 2800	56	17	39	
5.	चकबंदी लेखपाल / 2000	164	59	105	
6.	आशुलिपिक / 4200	04	01	03	
7.	मुख्य सहायक / 4200	04	–	04	
8.	सहायक लेखाकार / 2800	04	–	04	
9.	कनिष्ठ सहायक अहलमद / 2000	36	24	12	

क्र0	पद श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
10.	मुख्य अनुरेखक / 2800	08	04	04	
11.	अनुरेखक / 1800	12	01	11	
12.	अभिलेखपाल / 2000	04	–	04	
13.	जीप चालक	04	01	03	आउटसोर्सिंग
14.	अनुसेवक	120	52	68	आउटसोर्सिंग
	योग	**456**	**177**	**279**	

चकबंदी अधिष्ठान (आयुक्त / राजस्व परिषद)

क्र0	पद श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	उप संचालक चकबंदी / 6600	02	–	02	
2.	संयुक्त संचालक चकबंदी / 6600	01	–	01	
3.	आशुलिपिक / 2800	03	–	03	
4.	पेशकार / 2000	03	–	03	
5.	अर्दली / 1800	03	–	03	
6.	चालक / 1900	03	–	03	
	योग	**15**	**–**	**15**	

भू–सर्वेक्षण एवं अभिलेख ईकाई

क्र0	पद श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	सहायक अभिलेख अधिकारी / 5400	02	–	02	
2.	सर्वे नायब तहसीलदार / 4200	10	02	08	
3.	पेशी कानूनगो / 2400	02	–	02	
4.	सर्वे कानूनगो / 2400	40	21	19	
5.	सर्वे लेखपाल / 2000	80	24	56	
6.	पेशकार / 2000	02	–	02	
7.	अहल मद / 2800	02	02	–	
8.	वरिष्ठ सहायक / 2800	02	02	–	
9.	कैशियर / टाइपिस्ट / 2000	04	04	–	
10.	ड्राफ्ट्स मैन / 1900	04	01	03	
11.	वाहन चालक / 1900	02	01	01	
12.	रिकार्ड कीपर / 1900	02	02	–	
13.	अनुसेवक / 1800	10	09	01	
14.	पेशी मोहर्रिर / 1800	02	02	–	
15.	सर्वे चेन मैन / 1800	40	17	23	
16.	अनुसेवक / 1800	32	22	10	

क्र0	पद श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
	योग	236	109	127	

कृषि गणना, राजस्व परिषद

क्र0	पद श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	संयुक्त निदेशक/ 7600	01	01	–	
2.	सहायक निदेशक/ 5400	01	01	–	
3.	संख्या सहायक/ 4600	02	–	02	
4.	लेखाकार/4200	01	–	01	
5.	आशुलिपिक/2400	01	–	01	
6.	कनिष्ठ सहायक/ 1900	01	–	01	
7.	अनुसेवक/1800	01	–	01	
	योग	08	02	06	

राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण केंद्र, अल्मोड़ा

क्र0	पद श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	कार्यकारी निदेशक/ 6600	01	01	–	
2.	प्रशिक्षक (राजस्व)/ 5400	01	–	01	
3.	प्रशिक्षक (सर्वे मेन्सुरेशन/5400	01	–	01	
4.	प्रशिक्षक (अपराधिक)/4800	01	–	01	
5.	प्रशिक्षक (कम्प्यूटर) /4200	01	–	01	
6.	प्रशिक्षक प्रबंधक/ 4200	01	01	–	
7.	कार्यालय अधीक्षक/ 4200	01	01	–	
8.	वरिष्ठ सहायक/ 4200	01	01	–	
9.	कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर/2000	01	–	01	
10.	लैब असिस्टेंट (कम्प्यूटर)/2000	01	–	01	
11.	वाहन चालक/1800	02	–	02	
12.	चेन मैन/1800	02	02	–	
13.	अनुसेवक/1800	02	02	–	
	योग	16	08	08	

उक्तवत् प्राप्त सूचनाओं के परिपेक्ष्य में कार्यवाही हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचार योग्य हैं :–

1. राजस्व परिषद में वित्त अधिकारी (आडिट) पद को समाप्त किया जाय। आडिट विभाग अलग बन जाने से इस पद का औचित्य नहीं है। पद रिक्त बताया गया है। साथ ही सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशासन) एवं उप राजस्व आयुक्त (प्रशासन) में से एक पद को समाप्त किया जाय। उचित होगा कि सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशासन) का पद समाप्त किया जाय। निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक संवर्ग के पदों का वेतनमान व पद संख्या में परिवर्तन किया जाना चाहिए जिसमें वैयक्तिक सहायक (ग्रेड वेतन 2800) तथा अपर निजी सचिव (ग्रेड वेतन 4800) में बताए गये हैं। वैयक्तिक सहायक में स्वीकृत सभी 05 पद पूर्णतः रिक्त हैं। इस पद की संख्या 03 तक रखने पर विचार किया जाय। लेखाकार के 06 पद हैं जिसे 01 किया जा सकता है। परिषद में कनिष्ठ सहायक का पद समाप्त करने पर विचार किया जाय।

2. आयुक्त कार्यालय में लिपिक संवर्ग अंतर्गत पदों की संख्या परिवर्तित व सीमित करने पर विचार किया जाय। दोनों आयुक्त कार्यालयों में आयुक्त सहित कुल 67 पदों में लिपिक संवर्ग के 29 पद हैं। अनुसेवक के 22 पद हैं जिन्हें 08–10 तक सीमित किया जा सकता है।

3. जिला/कलक्ट्री अधिष्ठान अंतर्गत तहसीलों की संख्या को कम किया जाना चाहिए जिस हेतु वसूली, जनसंख्या, गांवों की संख्या आदि के आधारित पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0 के समय के मानकों के सापेक्ष परीक्षण किया जाय अथवा राज्य हेतु सुविचारित मानक तय कर तद्क्रम में तहसीलों की संख्या सीमित (अधिकतम 75–80 तक) किया जाना चाहिए। उपजिलाधिकारी पदों की संख्या को कार्यरत (76) की सीमा तक रखने का विचार किया जा सकता है। लिपिक संवर्ग के पदों की संख्या सहित स्टाफिंग पैटर्न व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाय और कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार पद व उनकी संख्या नियत की जाय। आशुलिपिक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का एकमात्र पद समाप्त किया जाय। अनुसेवकों के पद भी वास्तविक आवश्यकता अनुरूप सीमित किये जायें। इलैक्ट्रीशियन के पद भी समाप्त किये जा सकते हैं।

4. संग्रह अमीनों के पद वास्तविक मांग आधार पर सीमित करने पर विचार किया जाय एवं तदानुसार अनुसेवकों के पद भी सीमित किये जाये।

5. चकबंदी अधिष्ठान में स्वीकृत पदों के सापेक्ष भरे पद न्यून हैं। चकबंदी हेतु दो दलों तक पदों को सीमित किया जा सकता है जिसके आधार पर ही चकबंदी क्रियाकलाप संचालित किये जा सकते हैं और तदानुसार ही विभिन्न स्तर के पद रखे जायें।

6. भू–सर्वेक्षण एवं अभिलेख ईकाई में भी स्वीकृत पदों के सापेक्ष भरे पद न्यून हैं। इस ईकाई में भी पदों की संख्या को 100–110 तक ही सीमित करने पर विचार किया जाय।

(48) सचिवालय प्रशासन

राज्य सरकार में शासन स्तर पर सचिवालय की व्यवस्था है जिसमें विभिन्न विभागों और उनके अंतर्गत अनुभागों एवं कतिपय प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है। कुल लगभग 48 विभागों एवं लगभग 150 अनुभागों के होने का विवरण समिति को प्राप्त कराया गया है। सचिवालय हेतु सृजित पदों का श्रेणीवार संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार सूचित किया गया है :–

क्र0सं0	श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	श्रेणी 'क' (राजपत्रित)	211	209	09	
2.	श्रेणी 'ख' (राजपत्रित)	216	208	08	
3.	श्रेणी 'ग' (अराजपत्रित)	1107	637	470	
4.	श्रेणी 'घ' (अराजपत्रित)	02	91	01	परिचारक पद मृत संवर्ग घोषित होने से स्वीकृत पद शून्य बताया है।
	योग	**1536**	**1145**	**488**	

उक्त विवरण अनुसार श्रेणी 'क' (राजपत्रित) व श्रेणी 'ख' (राजपत्रित) पदों की संख्या लगभग समान है। यह स्थिति पदीय ढांचा के सम्बन्ध में पिरामिड सिद्धान्त के अनुरूप नहीं है। श्रेणी 'ख' में मुख्यतः अनुभाग अधिकारी व निजी सचिव (श्रेणी–1) के पद है जबकि श्रेणी 'क' में अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव व अनुसचिव तथा निजी सचिव संवर्ग के पद हैं।

श्रेणी 'क' (राजपत्रित) समूह में निम्नलिखित विवरणानुसार पदों की स्थिति बताई गई है–

क्र0 सं0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
अ– समीक्षा अधिकारी संवर्ग					
1.	अपर सचिव/8900	11	08	03	
2.	संयुक्त सचिव/8700	19	19	–	
3.	उप सचिव/7600	36	36	–	

4.	अनुसचिव/6600	72	72	–	
ब–लेखा संवर्ग					
5.	संयुक्त सचिव (लेखा)/ 8700	02	02	02	
6.	उप सचिव (लेखा)/7600	03	03	–	
7.	अनुसचिव (लेखा)/6600	06	06	–	
स–निजी सचिव संवर्ग					
8.	अपर सचिव (निजी सचिव)/8900	01	–	01	
9.	मुख्य निजी सचिव (श्रेणी–5)/8900	04	04	–	
10.	वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव (श्रेणी–4)/8700	09	09	–	
11.	प्रमुख निजी सचिव (श्रेणी–3)/7600	15	15	–	
12.	वरिष्ठ निजी सचिव (श्रेणी–2)/6600	30	30	–	
द–अन्य संवर्ग					
13.	ज्येष्ठ भाषा अधिकारी/6600	01	–	01	
14.	वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी/6600	01	–	01	
15.	मख्य सुरक्षा अधिकारी/6600	01	–	01	सुरक्षा संवर्ग
	योग	**211**	**202**	**09**	

श्रेणी 'ख' राजपत्रित समूह में पदों की स्थिति का विवरण निम्नानुसार बताया गया है–

क्र0 सं0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	अनुभाग अधिकारी/ 5400 (समीक्षा अधिकारी संवर्ग)	143	140	03	प्रति अनुभाग 01
2.	अनुभाग अधिकारी/5400 (लेखा संवर्ग)	11	09	02	
3.	निजी सचिव (श्रेणी–1)/5400 (निजी सचिव संवर्ग)	59	56	03	
4.	प्रकाशन अधिकारी/5400	01	–	01	
5.	भाषा अधिकारी/5400	01	–	01	
6.	सुरक्षा अधिकारी/5400 (सुरक्षा संवर्ग)	01	01	–	
	योग	**216**	**206**	**10**	

श्रेणी 'ग' अराजपत्रित समूह में पदों की स्थिति की सूचना निम्नवत सूचित की गई है:–

क्र0 सं0	**पदनाम/ग्रेड वेतन**	**स्वीकृत पद**	**कार्यरत पद**	**रिक्त पद**	**अभ्युक्ति**
क– समीक्षा अधिकारी संवर्ग					
1.	समीक्षा अधिकारी/4800	444	295	149	प्रति अनुभाग – 3
2.	सहायक समीक्षा अधिकारी/4600	171	106	65	प्रति अनुभाग – 1
ख– कम्प्यूटर सहायक संवर्ग					
3.	कम्प्यूटर सहायक/2400	157	91	66	20 नियमित एवं 71 उपनल से कार्यरत
ग– लेखा संवर्ग					
4.	समीक्षा अधिकारी (लेखा)/4800	33	–	33	प्रति अनुभाग – 3
5.	सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा)/4600	11	03	08	प्रति अनुभाग – 1
घ– निजी सचिव संवर्ग					
6.	अपर निजी सचिव/4800	183	61	122	
ड.– सुरक्षा संवर्ग					
7.	निरीक्षक/4800	02	02	–	
8.	उप निरीक्षक/4600	06	06	–	
9.	मुख्य रक्षक/2800	18	18	–	
10.	रक्षक/2000	82	55	27	
	योग	**1107**	**637**	**470**	

श्रेणी 'घ' अराजपत्रित समूह में पदों/कार्यरत पदों की स्थिति निम्नवत बताई गई है:–

क्र0 सं0	**पदनाम/ग्रेड वेतन**	**स्वीकृत पद**	**कार्यरत पद**	**रिक्त पद**	**अभ्युक्ति**
1	सचिवालय परिचारक/1800	–	90	–	मृत संवर्ग
2.	वाहन चालक	02	01	01	
	योग	**02**	**91**	**01**	

सचिवालय कर्मियों का वेतन सम्बन्धी व्ययभार वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 80.91 करोड़ सूचित किया गया है। यदि सभी पद भरे होते तो वर्ष 2015–16 में वेतन का कुल व्यय भार लगभग रू0 108.54 करोड़ होता जो सातवें पुनरीक्षित वेतन अनुसार लगभग रू0 125

करोड़ होता है। वेतन वृद्धि, ए0सी0पी0, महंगाई भत्ते की दरें बढ़ने पर इस व्यय में आगे और वृद्धि होती रहेगी। भरे पदों के सापेक्ष सातवें पुनरीक्षित वेतन अन्तर्गत वेतन व्यय लगभग रू0 93 करोड़ होता।

उपलब्ध कराये गये विवरण से स्पष्ट होता है कि सचिवालय संवर्ग में अनुसचिव से अपर सचिव स्तर तक उत्तरोत्तर उच्च पदों में कुल 138 पद सृजित एवं 135 कार्यरत हैं जबकि सचिवालय लेखा संवर्ग में अनुसचिव से संयुक्त सचिव स्तर तक के कुल 11 पद सृजित तथा 09 कार्यरत हैं। सचिवालय लेखा संवर्ग में कुल 66 पद विभिन्न स्तर के स्वीकृत हैं तथा 11 अनुभाग हैं। सचिवालय संवर्ग में कम्प्यूटर सहायक सहित विभिन्न स्तर के कुल 1053 पद सृजित हैं। इसी तरह निजी सचिव संवर्ग में कुल 301 पद सृजित हैं।

युक्तिकरण के विषय में निम्नलिखित बिन्दु विचार योग्य हैं :–

1. सचिवालय स्तर पर कुछ विभागों का एकीकरण किया जाय तथा लगभग 45–50 अनुभाग कम करने पर विचार किया जाय। अनुभागों की संख्या कम करते समय विभागों के एकीकरण, कार्य की वास्तविक मात्रा, स्थिति व प्रकृति आदि बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाय। उदाहरण स्वरूप सिंचाई व लघु सिंचाई विभाग का एकीकरण करने व जल संसाधन सम्बन्धी सभी कार्यों को सचिवालय स्तर पर एक ही विभाग में रखते हुए अनुभागों की संख्या सीमित की जा सकती है। इसी प्रकार सचिवालय स्तर पर नियोजन विभाग तथा राज्य सरकार के अंतर्गत राज्य योजना आयोग दोनों ही कार्यरत हैं जिस स्थिति में सचिवालय स्तर पर दो अनुभागों के लिए कार्य की मात्रा कम हैं क्योंकि नियोजन सम्बन्धी सभी कार्य योजना आयोग द्वारा देखा जाता है। अतः नियोजन हेतु दो की जगह एक ही अनुभाग रखा जा सकता है। इस प्रकार लगभग 45–50 अनुभाग कम करने की संभावना प्रथम दृष्टया स्पष्ट इंगित होती है। अनुभागों की संख्या कम किये जाने के फलस्वरूप तदानुसार विभिन्न स्तर के पदों की संख्या भी लगभग 300–350 तक कम हो सकती है। इससे लगभग रू0 22–23 करोड़ वेतन व्यय सृजित पदों के सापेक्ष कम होगा।

2. अनुसचिव एवं उच्च स्तर के पदों की संख्या भी सीमित की जानी चाहिए। उल्लेखनीय है कि एक पत्रावली एक विशिष्ट मामले में लगभग 6–7 स्तरों से गुजरती है। इस कारण कार्य निस्तारण की गति भी अत्यंत धीमी रहती है। प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का लिखित व अलिखित रूप से अत्यधिक केन्द्रीकरण से भी कार्य निस्तारण में विलम्ब होना स्वाभविक है। यह अवलोकनीय है कि अपर सचिव स्तर पर भा0प्र0 सेवा, पी0सी0एस0, वित्त सेवा एवं कुछ अन्य सेवाओं के भी अधिकारी तैनात होते हैं जबकि संयुक्त सचिव स्तर पर पी0सी0एस0 संवर्ग सहित कतिपय अन्य संवर्ग से भी

तैनाती की जाती है। अतः सचिवालय संवर्ग में अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव व अनुसचिव के पदों को वर्तमान संख्या के स्थान पर सीमित किया जाय। इस सम्बन्ध में 1:2 के स्थान पर 1:3 अनुपात को अपनाए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार अनुसचिव स्तर में कुल 35 से 40 पद, उप सचिव के 15 से 18 पद, संयुक्त सचिव के 6–8 पद तथा अपर सचिव के 3 से 5 पद होने उपयुक्त होंगे। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 में भी कदाचित इन पद स्तरों के मध्य अनुपात 1:2 के स्थान पर अधिक है। यह 1983 की नियमावली से भी परिलक्षित हुआ है। ऐसी व्यवस्था से सृजित पदों के सापेक्ष वेतन व्यय में लगभग रू0 5.50 करोड़ की कमी होगी।

3. लेखा संवर्ग में वित्त सेवा से भी इरला अंतर्गत व्यवस्था रहती है। उ0प्र0 में रही व्यवस्था अवलोकनीय है। सचिवालय लेखा संवर्ग में 11 अनुभाग अधिक प्रतीत होते हैं जिन्हें सीमित करने की आवश्यकता है। तदानुसार विभिन्न स्तर के पदों की संख्या भी सीमित की जानी चाहिए। लेखा संवर्ग में कुल 4 या 5 अनुभाग पर्याप्त होंगे तथा इनके पदनाम व संख्या मानक/अनुपात सचिवालय संवर्ग के अनुसार रखने के औचित्य पर पुनर्विचार किया जाय। इससे वेतन व्यय में लगभग रू0 2 करोड़ की कमी होगी। लेखा संवर्ग में पदनाम सचिवालय संवर्ग के अनुरूप रखने के स्थान पर सहायक लेखाकार, लेखाकार आदि रखने पर विचार किया जाय।

4. सचिवालय निजी सचिव संवर्ग में अपर निजी सचिव से अपर सचिव (निजी सचिव संवर्ग) तक कुल सात पद स्तर हैं तथा कुल 301 पद विभिन्न स्तर पर सृजित हैं। अपर सचिव व मुख्य निजी सचिव श्रेणी–5 का ग्रेड वेतन 8900 है। इस संवर्ग में भी पदों की संख्या सीमित किया जाना समीचीन होगा एवं पदों की कुल संख्या लगभग 200–215 तक रखने पर विचार किया जा सकता है। साथ ही अपर सचिव पद इस संवर्ग हेतु समाप्त कर दिया जाय। इससे लगभग रू0 6 करोड़ का वेतन व्यय सृजित पदों के सापेक्ष कम होगा।

5. सचिवालय में ज्येष्ठ भाषा अधिकारी, वरिष्ठ प्रकाशन अधिकारी, प्रकाशन अधिकारी, भाषा अधिकारी आदि एकल पदों की आवश्यकता व उपादेयता पर पुनर्विचार किया जाय। यदि भाषा सम्बन्धी कार्य हेतु व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता हो तो एक भाषा प्रकोष्ठ नितान्त सीमित पदों के साथ पर्याप्त होगा। यह विशेष अवलोकनीय है कि विधायी विभाग अंतर्गत भी भाषा सम्बन्धी कार्य किया जाता है। अतः ऐसी दशा में प्रकोष्ठ की स्थापना से पूर्व विधायी अनुभाग में भाषा सम्बन्धी कार्य आदि का स्पष्ट आंकलन/अवलोकन कर लिया जाय।

6. कम्प्यूटर सहायक (ग्रेड वेतन 2400) के 150 पद सृजित हैं जिसके सापेक्ष 91 कार्यरत बताए गये हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा अनुसार यह पद समाप्त किये जाने चाहिए तथा सहायक समीक्षा अधिकारी व समीक्षा अधिकारी पद के लिए टंकण सहित कम्प्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी के निर्धारित स्तर की अर्हता व दक्षता अनिवार्य की जाय।

7. सचिवालय में उक्त सुझाये गये भाषा प्रकोष्ठ के अतिरिक्त ऊर्जा व वित्त अनुभाग–7 में वेतन प्रकोष्ठ को छोड़कर शेष प्रकोष्ठों को बंद कर कार्य सम्बिन्धित अनुभाग स्तर पर ही सम्पन्न किया जाय।

(49) विधानसभा सचिवालय

दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 की प्रास्थिति अनुसार विधानसभा सचिवालय में पदों की स्थिति की सूचना निम्नानुसार बताई गई है:–

क्र0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	सचिव	01	01	–	
2.	अपर सचिव/8900	01	–	01	
3.	संयुक्त सचिव/8700	02	01	01	एक पद अस्थाई
4.	उप सचिव/7600	02	02	–	एक पद अस्थाई
5.	अनु सचिव/6600	07	04	03	छः पद अस्थाई
6.	प्रधान प्रतिवेदक/8900	01	01	–	अस्थाई पद
7.	प्रमुख प्रतिवेदक/8700	01	–	01	
8.	मुख्य प्रतिवेदक/7600	02	–	02	
9.	उप मुख्य प्रतिवेदक/	03	03	–	
10.	प्रतिवेदक/4600	14	14	–	
11.	प्रधान निजी सचिव/	01	01	–	अस्थाई पद
12.	वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव/	01	01	–	तदैव
13.	प्रमुख निजी सचिव/	02	02	–	एक पद अस्थाई
14.	वरिष्ठ निजी सचिव/	04	04	–	तीन पद अस्थाई
15.	निजी सचिव/	12	12	–	चार पद अस्थाई
16.	अपर निजी सचिव/	24	24	–	पांच पद अस्थाई
17.	अनुभाग अधिकारी/	13	13	–	सात पद अस्थाई
18.	समीक्षा अधिकारी/	34	34	–	चौदह पद अस्थाई
19.	सहायक समीक्षा अधिकारी/	36	36	–	तेरह पद अस्थाई

क्र0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
20.	उप सचिव (लेखा)/	01	01	–	अस्थाई पद
21.	अनुसचिव लेखा/	02	01	01	एक पद अस्थाई
22.	अनुभाग अधिकारी (लेखा)/	04	04	–	तीन पद अस्थाई
23.	समीक्षा अधिकारी (लेखा)/	05	05	–	दो पद अस्थाई
24.	सहा0 समीक्षा अधि0 (लेखा)/	08	08	–	दो पद अस्थाई
25.	प्रमुख सम्पादक/	01	–	01	अस्थाई पद
26.	मुख्य सम्पादक/6600	01	01	–	
27.	सम्पादक/4600	02	02	–	
28.	मुख्य शोध एवं संदर्भ अधिकारी/	01	–	01	अस्थाई पद
29.	वरिष्ठ शोध एवं संदर्भ अधिकारी/	01	01	–	अस्थाई पद
30.	शोध एवं संदर्भ अधि0/5400	01	01	–	
31.	शोध एवं संदर्भ सहायक/4200	04	04	–	01 पद अस्थाई
32.	वरिष्ठ प्रोटोकॉल अधि0/	01	01	–	अस्थाई पद
33.	प्रोटोकॉल अधि0/	01	01	–	
34.	उप प्रोटोकॉल अधिकारी/	01	01	–	
35.	सुरक्षा अधिकारी/6600	01	01	–	अस्थाई पद
36.	मार्शल/5400	01	–	01	अस्थाई पद
37.	डिप्टी मार्शल/4600	02	02	–	एक पद अस्थाई
38.	सहायक मार्शल/4200	04	02	02	महिला के एक पद सहित तीन पद अस्थाई
39.	प्रधान रक्षक/2000	07	06	01	महिला के एक पद सहित पांच पद अस्थाई
40.	रक्षक/1900	43	43	–	महिला के कुल 08 में से 06 पद सहित 26 पद अस्थाई
41.	वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष/	01	01	–	अस्थाई पद
42.	पुस्तकालयाध्यक्ष/5400	01	–	01	
43.	उप पुस्तकालयाध्यक्ष/4600	01	–	01	
44.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/2800	01	01	–	
45.	सूचीकार/2800	04	04	–	01 पद अस्थाई
46.	वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी/	01	–	01	अस्थाई पद
47.	व्यवस्थाधिकारी/4600	02	01	01	एक पद अस्थाई

क्र0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
48.	व्यवस्थापक/4200	02	01	01	एक पद अस्थाई
49.	विशेष कार्याधिकारी (नि:संवर्गीय)	01	01	–	अस्थाई पद
50.	जनसंपर्क अधिकारी/ (नि:संवर्गीय)	03	03	–	अस्थाई पद
51.	सहा0 जनसंपर्क अधिकारी/ (नि:संवर्गीय)	01	01	–	अस्थाई पद
52.	सिस्टम एनालिस्ट/ (आउटसोर्सिंग)	01	–	01	अस्थाई पद
53.	प्रोग्रामर (आउटसोर्सिंग)	01	–	01	अस्थाई पद
54.	सूचना अधिकारी/4600	01	01	–	
55.	सहा0 सूचना अधिकारी/ (नि:संवर्गीय)	01	01	–	
56.	फोरमैन मुद्रण/	01	–	01	अस्थाई पद
57.	सहायक फोरमैन/	02	–	02	अस्थाई पद
58.	कम्प्यूटर ऑपरेटर/	02	02	–	अस्थाई पद
59.	कम्प्यूटर सहायक/	20	20	–	19 पद अस्थाई
60.	तकनीशियन/1900	01	–	01	61.
61.	चालक/1900	20	20	–	19 पद अस्थाई
62.	स्वागती/	02	02	–	
63.	हाउस कीपिंग सहायक/	02	02	–	अस्थाई पद
64.	साइक्लोस्टाइल ऑपरेटर/	01	01	–	
65.	बाइन्डर/	01	01	–	
66.	वरिष्ठ परिचारक/	02	01	01	
67.	डाक रनर/	02	01	01	01 पद अस्थाई
68.	परिचारक	63	63	–	18 पद अस्थाई
69.	लिफ्ट मैन/	02	–	02	आउटसोर्सिंग
70.	व्यवस्था/मैन्टेनेन्स सहायक/	03	–	03	आउट सोर्सिंग
	योग	**399**	**366**	**33**	

विधानसभा सचिवालय के कार्मिकों का वित्तीय वर्ष 2015–16 का वेतन सम्बन्धी व्यय लगभग रू0 11.60 करोड़ इंगित किया गया है। सभी पद भरे होने की दशा में व्यय लगभग रू0 12.65 करोड़ होता जो सातवें पुनरीक्षित वेतन अनुसार लगभग रू0 13.55 करोड़ होता है।

प्राप्त सूचनाओं के दृष्टिगत निम्नलिखित बिन्दु विचार योग्य हैं :–

1. संयुक्त सचिव तथा उप सचिव के क्रमशः दो–दो पद हैं जिसमें एक–एक पद अस्थाई हैं। यह स्थिति पिरामिड सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है, अतः संयुक्त सचिव का एक ही पद रखा जाना उचित होगा, यद्यपि ऐसा करने से संयुक्त सचिव व अपर सचिव का भी एक–एक पद ही रहेगा परन्तु यह उल्लेखनीय है कि अपर सचिव का पद रिक्त बताया गया है जबकि संयुक्त सचिव का एक ही पद भरा हुआ है।

2. अनुसचिव व अनुभाग अधिकारी के मध्य लगभग 1:2 का अनुपात है (अनु सचिव के 07 पद व अनुभाग अधिकारी के 13 पद), यद्यपि कार्यरत की स्थिति अनुसार यह अनुपात लगभग 1:3 का है (अनु सचिव के 04 कार्यरत व अनुभाग अधिकारी के 13 कार्यरत)। इस अनुपात को 1:4 किया जाना उचित होगा और तदानुसार अनु सचिव के 03 ही पद रखने पर विचार किया जाय। उल्लेखनीय है कि अनु सचिव के 06 पद अस्थाई हैं।

3. सहायक समीक्षा अधिकारी के 36 पद (13 अस्थाई) व समीक्षा अधिकारी के 34 पद (14 अस्थाई) हैं। इन पदों की संख्या क्रमशः 26, 26 रखने पर विचार किया जा सकता है।

4. लेखा के अंतर्गत उप सचिव व अनु सचिव के क्रमशः 01 व 02 पद हैं जिसमें अनु सचिव का 01 पद अस्थाई है तथा अनु सचिव पद पर 01 कार्मिक कार्यरत है जबकि उप सचिव का पद अस्थाई है। अनुभाग 04 हैं जिनमें समीक्षा अधिकारी के 05 व सहायक समीक्षा अधिकारी के 08 पद हैं (क्रमशः 03, 02 व 02 पद अस्थाई)। लेखा के 02 ही अनुभाग रखने के साथ समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी स्तर पर 04–04 पद रख सकते हैं।

5. प्रधान प्रतिवेदक, प्रमुख प्रतिवेदक, मुख्य प्रतिवेदक, उप मुख्य प्रतिवेदक तथा प्रतिवेदक के क्रमशः 01, 01, 02, 03 व 14 पद हैं जिनके सापेक्ष क्रमशः 01, 0, 0, 03 व 14 कार्यरत बताए गये हैं। प्रधान प्रतिवेदक का पद अस्थाई इंगित किया गया है। सेवा नियमावली अनुसार प्रतिवेदक पद की अर्हता स्नातक सहित हिन्दी व अंग्रेजी आशुलिपि में वर्णित गति (हिन्दी 140 शब्द व अंग्रेजी 100 शब्द प्रति मिनट) है। स्पष्ट ही यह आशुलिपिक से सम्बन्धित कार्य का पद है। इस संवर्ग में उत्तरोत्तर कुल पांच स्तर होना कार्य व आवश्यकता की दृष्टि से पुनर्विचार योग्य है। तदानुसार इतने स्तरों व कुल पद संख्या पर पुनर्विचार किया जाना उचित होगा। जिस क्रम में प्रधान व प्रमुख प्रतिवेदक के पदों को समाप्त करने पर विचार किया जाना चाहिए तथा मुख्य प्रतिवेदक का 01 पद रखना चाहिए।

6. निजी सचिव संवर्ग में प्रधान निजी सचिव, वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, प्रमुख निजी सचिव, वरिष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव व अपर निजी सचिव पदनाम से 06 स्तर हैं जिनमें क्रमशः 01, 01, 02, 04, 12 एवं 24 पद सृजित हैं तथा सभी पद कार्यरत हैं। प्रधान निजी सचिव, वरिष्ठ निजी सचिव के पद अस्थाई हैं तथा निचले स्तर पर प्रमुख निजी सचिव, वरिष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव व अपर निजी सचिव के क्रमशः 01, 03, 04 व 05 पद अस्थाई हैं। इस संवर्ग में प्रधान निजी सचिव व वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव के पद समाप्त करने तथा प्रमुख निजी सचिव का 01 पद रखने पर विचार किया जाय। साथ ही वरिष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव व अपर निजी सचिव पद पर क्रमशः 02, 06 व 14–15 पद रखने पर विचार किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है सदन व समितियों की कार्यवाही लिखने हेतु पृथक प्रतिवेदक संवर्ग है।

7. प्रमुख सम्पादक, मुख्य सम्पादक तथा सम्पादक के क्रमशः 01, 01 तथा 02 पद हैं। प्रमुख सम्पादक का पद अस्थाई है तथा उस पर कोई कार्यरत नहीं होना सूचित किया है। इस पद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

8. मुख्य शोध एवं संदर्भ अधिकारी, वरिष्ठ शोध एवं संदर्भ अधिकारी, शोध एवं संदर्भ अधिकारी तथा शोध एवं संदर्भ सहायक के क्रमशः 01 (अस्थाई), 01 (अस्थाई), 01 (अस्थाई) एवं 04 (01 अस्थाई) पद हैं। मुख्य शोध एवं संदर्भ अधिकारी तथा वरिष्ठ शोध एवं संदर्भ अधिकारी के पद समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।

9. वरिष्ठ प्रोटोकॉल अधिकारी, प्रोटोकॉल अधिकारी तथा उप प्रोटोकॉल अधिकारी के क्रमशः 01, 01, 01 पद हैं। वरिष्ठ प्रोटोकॉल अधिकारी का पद अस्थाई बताया गया है। प्रोटोकॉल अधिकारी का केवल 01 ही पद रखते हुए वरिष्ठ प्रोटोकॉल अधिकारी एवं उप प्रोटोकॉल अधिकारी के पद समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।

10. सुरक्षा संवर्ग में सुरक्षा अधिकारी का 01 (अस्थाई), मार्शल का 01 (अस्थाई व रिक्त), डिप्टी मार्शल के 02 (01 अस्थाई), सहायक मार्शल के 04 (महिला के 01 पद सहित 03 अस्थाई), प्रधान रक्षक के 07 (महिला के 01 पद सहित 05 अस्थाई) तथा रक्षक के 43 (महिला के कुल 08 में से 06 पद सहित 26 अस्थाई) पद हैं जिनके सापेक्ष क्रमशः 01, 0, 02, 02, 06 व 43 कार्यरत सूचित किये गये हैं। इस संवर्ग में मार्शल पद पर 50 प्रतिशत प्रोन्नति व 50 प्रतिशत सीधी भर्ती की व्यवस्था सेवा नियमावली में इंगित हो रही है। सुरक्षा अधिकारी का पद समाप्त करने पर विचार किया जाय।

11. पुस्तकालय हेतु वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष, पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के क्रमशः 01 (अस्थाई पद), 01 (रिक्त), 01 (रिक्त) एवं 01 पद हैं।

पुस्तकालय की आवश्यकतानुसार पुस्तकालयाध्यक्ष का 01 पद एवं उसके नीचे 01 पद उप अथवा सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के रखने तथा शेष पदों को समाप्त किया जाने पर विचार किया जाना चाहिए। पुस्तकालय के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा विभाग के पुस्तकालय श्रेणी अनुसार पुस्तकालयाध्यक्ष का पद होना चाहिए। सूचीकार के 04 पद (01 अस्थाई) है जिनके सम्बन्ध में वास्तविक आवश्यकता के दृष्टिगत 03 पद रखने हेतु विचार किया जा सकता है।

12. वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी, व्यवस्थाधिकारी व व्यवस्थापक के क्रमशः 01 (अस्थाई), 02 (01 अस्थाई) व 02 (01 अस्थाई) पद हैं। व्यवस्थापक के 02 व व्यवस्थाधिकारी का 01 पद रखते हुए वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी पद समाप्त करने पर विचार करना चाहिए।

13. विशेष कार्याधिकारी, जन संपर्क अधिकारी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी एवं सहायक सूचना अधिकारी के क्रमशः 01, 03, 01 तथा 01 निसंवर्गीय पदों को समाप्त किया जा सकता है।

14. साइक्लोस्टाइल ऑपरेटर का एकल पद समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि अब साइक्लोस्टाइल कार्य नहीं होता है।

15. सेवा नियमावली वर्तमान पदों अनुरूप अध्यावधिक रूप से परिवर्तित की जानी चाहिए। कई पद नामों के सम्बन्ध में उपलब्ध कराई गई नियमावली में कोई व्यवस्था नहीं है।

(50) राज्य सम्पत्ति विभाग

राज्य सम्पत्ति विभाग का कार्य मुख्यतः संवैधानिक पदधारकों व अधिकारियों की आवासीय व्यवस्था, वाहन व्यवस्था तथा राज्य अतिथि गृहों का संचालन करना है। वर्तमान में राज्य में व राज्य से बाहर 10 अतिथि गृह संचालनरत बताए गये हैं तथा लो.नि.वि. से अधिग्रहित 06 अतिथिगृहों का संचालन प्रारंभ होना है। विभाग अंतर्गत पदों की स्थिति निम्नानुसार सूचित की गई है:–

क्र0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	राज्य सम्पत्ति अधिकारी	01	01	–	पी0सी0एस0 संवर्ग (पदेन)
2.	विहित प्राधिकारी	01	01	–	तदैव
3.	मुख्य व्यवस्थाधिकारी/7600 (सी0ग्रे0)	01	01	–	
4.	मुख्य व्यवस्थाधिकारी/6600	01	01	–	
5.	वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी/5400	07	07	–	
6.	व्यवस्थाधिकारी/4800	15	08	07	

7.	व्यवस्थापक / 4600	29	13	16	
8.	स्वागती / 2000	30	15	15	16 नियमित 14 आउटसोर्स
9.	टेलीफोन ऑपरेटर / 1900	15	03	12	12 नियमित 03 आउटसोर्स
10.	सहायक लेखाकार / 2800	03	–	03	
11.	लेखा लिपिक / 1900	01	–	01	
12.	वरिष्ठ सहायक / 2800	15	05	10	
13.	कनिष्ठ सहायक / 2000	02	02	–	
14.	मैंटेनेन्स सहायक / 1900	01	–	01	
15.	आवास निरीक्षक / 1900	01	01	–	
16.	विधि सहायक / 1900	01	–	01	
17.	वाहन चालक / 2000	155	105	50	
18.	लाइब्रेरियन	01	–	01	नियत वेतन
19.	सूचीकार	01	–	01	नियत वेतन
20.	जिम प्रशिक्षक	02	02	–	नियत वेतन
	योग	**283**	**165**	**118**	

वित्तीय वर्ष 2015–16 में वेतन सम्बन्धी व्यय लगभग रू0 10.20 करोड़ बताया गया जिसके दृष्टिगत सभी पद भरे होने की दशा में कुल व्यय लगभग रू0 17.50 करोड़ होता एवं सातवें पुनरीक्षित वेतन अनुसार यह व्यय क्रमशः लगभग रू0 11.75 करोड़ व रू0 20 करोड़ होता है।

उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के दृष्टिगत निम्नलिखित बिन्दु विचार योग्य हैंः–

1. लेखा लिपिक का एकल पद, जो रिक्त भी है, समाप्त किया जाय क्योंकि अब इस पदनाम से कोई पद अनुमन्य नहीं है।
2. मैन्टेनेन्स सहायक, आवास निरीक्षक व विधि सहायक पदों की व्यवस्था का औचित्य नहीं है, अतः इन्हें समाप्त कर दिया जाय। आवास निरीक्षक पद में कार्यरत कार्मिक को अन्य पद पर योग्यता अनुसार समायोजित किया जा सकता है अथवा इसे मृत पद घोषित किया जा सकता है।
3. स्वागती व टेलीफोन ऑपरेटर पदों का संविलियन करते हुए कुल पदों की संख्या को सीमित किया जाय (कुल 25–26 पद रखने पर विचार किया जा सकता है)।

(51) समाज कल्याण विभाग

समाज कल्याण विभाग में पदों के सम्बन्ध में विवरण निम्नानुसार सूचित किया गया है:–

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	निदेशक/	01	01	–	(आई0ए0एस0/वरिष्ठ पी0सी0एस0 संवर्ग)
2.	अपर निदेशक/8700	2	–	2	पदोन्नति
3.	संयुक्त निदेशक/7600	2	–	2	पदोन्नति
4.	उप निदेशक/6600	4	2	2	पदोन्नति
5.	मुख्य वित्त नियंत्रक/7600	1	1	–	वित्त सेवा संवर्ग
6.	अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी (स0का0)/5400	3	3	–	सीधी भर्ती/पदोन्नति
7.	सहायक निदेशक/5400	2	–	2	सीधी भर्ती/पदोन्नति
8.	जिला समाज कल्याण अधिकारी/5400	13	1	12	सीधी भर्ती/पदोन्नति
9.	सचिव अनु0जा0/जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक आयोग/5400	3	2	1	सीधी भर्ती/पदोन्नति
10.	संख्याधिकारी/5400	1	–	1	अर्थ एवं संख्या संवर्ग
11.	वैयक्तिक अधिकारी/4800	1	1	–	पदोन्नति
12.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहा0/4200	2	1	1	पदोन्नति
13.	वैयक्तिक सहायक/2800	4	3	1	सीधी भर्ती
14.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/5400	3	–	3	पदोन्नति
15.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/4800	17	1	16	पदोन्नति
16.	प्रशासनिक अधिकारी/4600	18	26	–8	पदोन्नति
17.	प्रधान सहायक/4200	32	27	5	पदोन्नति
18.	वरिष्ठ सहायक/2800	49	26	23	पदोन्नति
19.	कनिष्ठ सहायक/2000	56	40	16	सीधी भर्ती/पदोन्नति
20.	लेखाकार/4200	8	2	6	पदोन्नति
21.	सहायक लेखाकार/2800	15	1	14	सीधी भर्ती
22.	वरिष्ठ सम्प्रेक्षक/4200	1	–	1	पदोन्नति
23.	सम्प्रेक्षक/लेखाकार/2800	1	–	1	सीधी भर्ती
24.	अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी/4200	13	13	–	पदोन्नति
25.	सहायक समाज कल्याण अधिकारी/2800	99	78	21	सीधी भर्ती
26.	प्रधानाचार्य आई0टी0आई0/ 5400	3	–	3	पदोन्नति

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
27.	प्रधानाचार्य ए0टी0एस0/5400	1	1	–	पदोन्नति
28.	अधीक्षक/अधीक्षिका/4200	6	–	6	पदोन्नति
29.	अधीक्षक/ए0टी0एस0/4200	5	2	3	पदोन्नति
30.	क्षेत्रीय मद्य निषेध अधिकारी/ 4200	1	–	1	पदोन्नति
31.	उप क्षेत्रीय मद्य निषेध अधिकारी/2800	1	–	1	पदोन्नति
32.	जिला मद्य निषेध एवं समाजोउत्थान अधिकारी/2800	3	2	1	सीधी भर्ती
33.	प्राविधिक पर्यवेक्षक (मद्य निषेध)/2000	1	–	1	सीधी भर्ती
34.	फोरमैन/4200	1	–	1	पदोन्नति
35.	कार्य देशक/4200	2	1	1	पदोन्नति
36.	अनुदेशक (मालधनचौड़/बागेश्वर)/4200	17	5	12	सीधी भर्ती
37.	छात्रावास अधीक्षक/2800	14	–	14	सीधी भर्ती
38.	पर्यवेक्षक (आई0टी0आई0)/2800	2	–	2	सीधी भर्ती
39.	अनुदेशक (पाईन्स)/4200	14	5	9	सीधी भर्ती
40.	सहायक अध्यापक (भिक्षुक गृह)/2800	4	1	3	सीधी भर्ती
41.	पर्यवेक्षक (भिक्षुक गृह)/2800	2	–	2	सीधी भर्ती
42.	क्राफ्ट प्रशिक्षक बेंतकला (भिक्षुक गृह)/2000	1	–	1	सीधी भर्ती
43.	नर्स/कम्पाउण्डर/2800	12	4	8	सीधी भर्ती
44.	गृहमाता/2000	5	3	2	सीधी भर्ती
45.	सहायक प्रबन्धक औद्योगिक आस्थान हल्द्वानी/2800	1	–	1	सीधी भर्ती
46.	सहा0 अध्यापक एल0टी0/4600	16	7	9	सीधी भर्ती/पदोन्नति
47.	सहा0 अध्या0/4200	9	5	4	सीधी भर्ती
48.	सिलाई अध्यापक ए0टी0एस0/ 4200	1	1	–	सीधी भर्ती
49.	क्राफ्ट प्रशिक्षक (भिक्षुक गृह)/2000	3	3	–	सीधी भर्ती
50.	प्रशिक्षक विकलांग कर्मशाला/1900	9	5	4	सीधी भर्ती
51.	सैल्स मैन/1900	3	2	1	सीधी भर्ती
52.	विधि सहायक (विकलांग जन आयुक्त)/4200	1	–	1	सीधी भर्ती
53.	वैयक्तिक सहायक (अन्य पिछड़ी जाति आयोग)/4200	1	1	–	सीधी भर्ती
54.	वैयक्तिक सहायक (अनु0 जाति आयोग)/4200	1	1	–	सीधी भर्ती
55.	प्रधानाचार्य/7600	1	1	–	पदोन्नति
56.	उप प्रधानाचार्य/5400	1	–	1	पदोन्नति

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
57.	प्रवक्ता पी0जी0टी0/4800	12	3	9	सीधी भर्ती/पदोन्नति
58.	सहायक अध्यापक एल0टी0/4600	2	1	1	सीधी भर्ती/पदोन्नति
59.	सहायक अध्यापक व्यायाम/4600	1	1	–	सीधी भर्ती
60.	सहा0 अध्यापक (कम्प्यूटर)/4600	1	1	–	सीधी भर्ती/पदोन्नति
61.	प्रधानाध्यापक प्राथमिक/4600	1	–	1	पदोन्नति
62.	प्राथमिक शिक्षक/4200	2	–	2	सीधी भर्ती/पदोन्नति
63.	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–2/4200	1	–	1	सीधी भर्ती
64.	मैटर्न/केयर टेकर/सहा हास्टल इंचार्ज/2400	1	–	1	सीधी भर्ती
65.	सहायक कम कैटलागर/2000	1	–	1	सीधी भर्ती
66.	प्रयोगशाला सहायक/	1	–	1	आउटसोर्स
67.	अनुसेवक/चौकीदार/नियत वेतनमान	10	5	5	आउटसोर्स
68.	अनुसेवक/1800	22	22	–	
69.	वाहन चालक/1900	26	24	2	सीधी भर्ती
70.	वाहन चालक (मद्य निषेध)/1900	1	–	1	सीधी भर्ती
71.	चतुर्थ श्रेणी (मद्य निषेध)/1800	2	2	–	सीधी भर्ती
72.	चतुर्थ श्रेणी/1800	187	107	80	
73.	वाहन परिचर (मद्य निषेध)/1800	1	1	–	सीधी भर्ती
	योग	**765**	**446**	**319**	

उपलब्ध सूचनाओं के दृष्टिगत एवं समन्वित कार्यवाही हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :–

1. समाज कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, महिला कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण तथा विकलांगजन कल्याण सभी उप विषयों के लिए केवल एक विभाग की व्यवस्था की जा सकती है जिसमें निदेशक समाज कल्याण के अंतर्गत अपर निदेशक के 02 के स्थान पर 01 पद व संयुक्त निदेशक स्तर पर कुल 03 पद, उप निदेशक के 06 पद रखे जा सकते हैं जबकि अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी (स0क0) के ग्रेड वेतन 5400 के 03 पद समाप्त किये जा सकते हैं। इसी प्रकार सहायक निदेशक के भी दोनों पद समाप्त किये जा सकते हैं। संयुक्त निदेशक एवं उपनिदेशक के मध्य इन विषयों का कार्य आवंटन सुस्पष्ट कर दिया जाना चाहिए ताकि वे पूरे राज्य के सम्बन्ध में वर्णित सम्बन्धित विषय के कार्य सम्पादन आदि के लिए पूर्ण उत्तरदाई ठहराये जा सकें।

2. संख्याधिकारी का पद अर्थ एवं संख्या विभाग में अपने संवर्ग में रहे तथा समाज कल्याण में यह पद समाप्त कर दिया जाय।
3. लिपिक संवर्ग में व वैयक्तिक सहायक संवर्ग में स्टाफिंग पैटर्न लागू रखने पर पुनर्विचार किया जाय तथा विभिन्न स्तर के पदों की संख्या न्यूनतम वास्तविक आवश्यकतानुसार सीमित की जाय।
4. लेखाकार के 08 के स्थान पर निदेशालय में ही 02 पद रखे जा सकते हैं जबकि सहायक लेखाकार के निदेशालय में 04 पद सहित हर जनपद में 01–01 (कुल 13) अर्थात 17 पद रखे जा सकते हैं।
5. वरिष्ठ सम्प्रेक्षक व सम्प्रेक्षक का 01–01 पद समाप्त कर दिया जाय क्योंकि आडिट विभाग अलग गठित है।
6. मद्य निषेध सम्बन्धी चार स्तर के, क्रमशः क्षेत्रीय मद्य निषेध अधिकारी, उप क्षेत्रीय मद्य निषेध अधिकारी, जिला मद्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी तथा प्राविधिक पर्यवेक्षक के क्रमशः 01, 01, 03 तथा 01 कुल 06 पदों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और सम्बन्धित कार्य (यदि कोई किया जाना हो) जिला समाज कल्याण अधिकारी स्तर से किया जा सकता है। इसी शाखा के वाहन चालक, वाहन परिचर व चतुर्थ श्रेणी के कुल 04 पद भी समाप्त किये जा सकते हैं।
7. नर्स/कम्पाउण्डर के पद समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है तथा निकटस्थ चिकित्सालयों के साथ अनुबन्ध अथवा यथोचित व्यवस्था माध्यम सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं।
8. सेल्समैन के 03 पद है जिन्हें समाप्त करने पर विचार किया जाय।
9. वाहन चालक के 26 पदों के स्थान पर अधिकतम 18 या 20 पद रखे जा सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी के पदों की संख्या भी 110 से 120 तक सीमित की जा सकती है।
10. समाज कल्याण विभाग अंतर्गत स्थापित/संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय, आई0टी0आई0 आदि विद्यालयी शिक्षा विभाग, प्रशिक्षण विभाग आदि सम्बन्धित विभागों के अधीन अनुदान संख्या 30 के अंतर्गत स्थानान्तरित करते हुए संचालित किये जाने पर विचार किया जाय। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति विभाग के अधीन स्थापित/संचालित विद्यालयों व आई0टी0आई0 आदि को भी तदानुसार अनुदान संख्या 31 के अंतर्गत सम्बन्धित विभागों के अधीन स्थानान्तरित व संचालित करने पर विचार किया जाय। इससे शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रशासनिक व्यवस्था, व्यवहारिकता व अन्य में एकरूपता रहेगी।

(52) जनजाति कल्याण विभाग

जनजाति कल्याण निदेशालय का गठन 2006 में किया गया है। जनजाति कल्याण विभाग अंतर्गत निदेशालय सहित 29 कार्यालय/संस्थाएं/ईकाइयां हैं। इसका संरचनात्मक ढांचा जुलाई 2014 को पुनर्गठित किया गया जिसमें निम्नानुसार विभिन्न स्तर के पद इंगित होते हैं :–

क्र0 सं0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत	अभ्युक्ति
1.	निदेशक	01	01	भा0प्र0से0/पी0सी0एस0 संवर्ग
2.	अपर निदेशक/8700	01	–	
3.	संयुक्त निदेशक/7600	01	01	
4.	उपनिदेशक/6600	02	–	
5.	परियोजना अधिकारी/5400 (एकीकृत विकास परियोजना)	02	–	
6.	वित्त अधिकारी/5400	01	01	
7.	सहायक विकास अधिकारी जनजाति कल्याण/2800	02	01	
8.	प्रधानाचार्य रा0आ0प0 विद्यालय (हाई स्कूल)/5400	12	11	पदनाम प्रधानाध्यापक होना चाहिए
9.	प्रधानाचार्य एकलव्य आदर्श आ0 विद्यालय कालसी (इण्टर)/6600	01	01	
10.	उप प्रधानाचार्य एकलव्य आदर्श आ0 विद्यालय कालसी/5400	01	–	उप प्रधानाचार्य पद समाप्त होना चाहिए
11.	अधीक्षक राजकीय आ0प0 विद्यालय/4200	04	01	
12.	कम्प्यूटर सहायक अध्यापक/4600	01		मृत संवर्ग
13.	मनोवैज्ञानिक/2800	07	06	मृत संवर्ग
14.	सहायक अध्यापक/2800 (काष्ठकला–09, सिलाई–10, संगीत–08, कला–14)	41		कला को छोड़कर शेष मृत संवर्ग

क्र0 सं0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत	अभ्युक्ति
15.	सहायक अधीक्षक/प्रसार अध्यापक/2800	03		मृत संवर्ग
16.	व्यायाम प्रशिक्षक/2800	09		मृत संवर्ग
17.	सहायक अध्यापक बी0टी0सी0/ 4200	17	11	
18.	सहायक अध्यापक (एल0टी0)/4600	150	91	
19.	प्रवक्ता (पी.जी.टी.)/4800	12	10	
20.	शोध अधिकारी/4200	01	–	
21.	नर्स/कम्पाउण्डर/2800	09		मृत संवर्ग
22.	मैट्रन केयर सह हास्टल इंचार्ज/ 2400	17	–	
23.	गृह माता/2000	06		मृत संवर्ग
24.	कार्यशाला अधीक्षक, आई0टी0आई0/ 4200	03	03	
25.	ग्रुप अनुदेशक/4200	05	–	
26.	अनुदेशक/4200 (डीजल मैनेनिक–02, विद्युत–04, कटिंग/स्वीइंग–02, मोटर मैकेनिक–02, वैल्डर–02, आशुलिपिक हिंदी–06, फिटर–06, कोपा–06,सामाजिक अध्ययन–03, कला–03, अन्य–03)	39	18	
27.	छात्रावास प्रबन्धक/2800	04	–	
28.	मुख्य प्रशा0 अधि0	01	–	
29.	प्रशा0 अधिकारी/4600	07	07	
30.	प्रधान सहायक/4200	13	08	
31.	वरिष्ठ सहायक/2800	20	10	
32.	कनिष्ठ सहायक/2000	22	15	
33.	वैयक्तिक सहायक/4200	01	01	

क्र0 सं0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत	अभ्युक्ति
34.	आशुलिपिक/2400	03	01	
35.	सहायक संख्याधिकारी/4200	01	–	मृत संवर्ग
36.	लेखाकार/4200	01	–	
37.	सहायक लेखाकार/2800	01	–	
38.	सचिव/सहकारिता निरीक्षक/2800	02	–	
39.	क्रय–विक्रय पर्यवेक्षक/2400	02	02	
40.	कामदार सहकारी संघ/1800	08	02	
41.	वाहन चालक/1900	02	01	
42.	अनुसेवक/1800	174	159	86 नियमित, 73 आउटसोर्स
43.	स्वच्छक/आउटसोर्स	18	18	05 आउटसोर्स 1 दैनिक मजदूरी पर

विभाग के अधीन 02 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना क्रमशः कालसी व चकराता, 01 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (कालसी), 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, 03 राजकीय जनजाति छात्रावास, 03 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा 02 सहकारी संघ हैं। कुल स्वीकृत 558 पदों के सापेक्ष कार्यरत 389 सूचित किये गये हैं। वर्ष 2015–16 में वेतन मदों का व्यय रू0 14.26 करोड़ तथा अन्य कार्यालय संचालन मदों का व्यय लगभग 6.85 करोड़ बताया गया है। वर्ष का कुल व्यय रू0 65.21 करोड़ सूचित किया गया है। सभी पद भरे होने की दशा में 2015–16 में वेतन सम्बन्धी व्यय लगभग रू0 20.45 करोड़ होता। सातवें पुनरीक्षित वेतन में वेतन सम्बन्धी व्यय भरे पदों के सम्बन्ध में लगभग रू0 16.46 करोड़ एवं सभी पद भरे होने की दशा में लगभग रू0 23.50 करोड़ अनुमानित होता है।

उक्त के अतिरिक्त जनजाति आयोग में कुल 05 अस्थाई पद स्वीकृत व 03 कार्यरत सूचित किये गये हैं। जनजाति कल्याण विभाग को समाज कल्याण के साथ ही रखने पर विचार किया जाना चाहिए तथा तदानुसार समाज कल्याण विभाग के लिए संस्तुत बिन्दुओं अनुसार पदों को सीमित किया जा सकता है। आश्रम पद्धति विद्यालयों, एकलव्य आवासीय विद्यालय व आई0टी0आई0 को सम्बन्धित मूल विभागों के अधीन स्थानान्तरित/संचालित करने पर विचार किया जाना चाहिए और सहकारी संघ को सहकारिता विभाग के अधीन स्थानान्तरित किया जाय।

(53) महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग (आई0सी0डी0एस0)

इस विभाग अंतर्गत निदेशालय, जनपद एवं परियोजना स्तर पर स्वीकृत तथा कार्यरत पदों की सूचना उपलब्ध कराये गये विवरणानुसार निम्नवत् ज्ञात हुई है :-

क्र0 सं0	पदनाम / ग्रेड वेतन	निदेशालय		जनपद		परियोजना	
		स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत
1.	निदेशक	1	1	–	–	–	–
2.	संयुक्त निदेशक / 7600	1	–	–	–	–	–
3.	उप निदेशक / 6600	2	1	–	–	–	–
4.	वित्त अधिकारी / अपने संवर्ग अनुसार	1	–	–	–	–	–
5.	विधि अधिकारी / अपने संवर्ग अनुसार	1	–	–	–	–	–
6.	राज्य परियोजना अधिकारी / 5400	1	1	–	–	–	–
7.	जिला कार्यक्रम अधिकारी / 5400	–	–	13	9	–	–
8.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / 5400	–	–	2	–	9	–
9.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / 4800	1	–	3	–	13	–
10.	प्रशासनिक अधिकारी / 4600	1	1	3	5	13	30
11.	प्रधान सहायक / 4200	2	1	6	5	29	17
12.	कनिष्ठ सहायक / 2800	3	3	10	9	45	28
13.	कनिष्ठ सहायक / 2000	3	3	19	16	52	36
14.	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक / 4200	2	0	–	–	–	–
15.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक / 2800	1	–	1	–	–	–
16.	लेखाकार / 4200	1	–	–	–	–	–
17.	कनिष्ठ लेखा लिपिक / 2400	1	–	–	–	–	–
18.	सांख्यकीय सहायक / 4200	1	1	3	1	49	–
19.	अन्वेषक कम संगणक / 2400	1	–	10	–	9	–
20.	स्टेनो ग्रेड–डी / 2400	1	–	–	–	–	–

क्र0 सं0	पदनाम/ग्रेड वेतन	निदेशालय		जनपद		परियोजना	
		स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत
21.	बाल विकास परियोजना अधिकारी/4200	–	–	–	–	105	34
22.	मुख्य सेविका/2800	–	–	–	–	597	484
23.	वाहन चालक/2000	5	1	8	7	8	8
24.	अनुसेवक/1800	6	5	13	7	105	69
	योग	**36**	**18**	**91**	**59**	**1034**	**706**

उक्त विवरणानुसार विभाग में कुल 1161 पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष कार्यरत 783 हैं। कुल वेतन व्यय (2015–16) लगभग रू0 38.60 करोड़ है जबकि कार्य व अधिष्ठान सम्बन्धी अन्य व्यय सहित कुल व्यय लगभग रू0 431 करोड़ है। उल्लेखनीय है कि कदाचित अधिकतर योजनाएं 90 अथवा शत प्रतिशत केन्द्रांश पोषित हैं। सभी पद भरे होने की दशा में 2015–16 का वेतन व्यय लगभग रू0 57.25 करोड़ होता। सातवें पुनरीक्षित वेतन अनुसार भरे पदों के सापेक्ष वेतन व्यय लगभग रू0 44.40 करोड़ व सभी पद भरे होने पर लगभग रू0 65.80 करोड़ अनुमानित है।

प्राप्त सूचनाओं के दृष्टिगत निम्नलिखित बिन्दु विचार योग्य हैं :–

1. राज्य में ऑडिट विभाग पृथक से गठित है एवं ऑडिट अधिनियम 2012 भी लागू है। अतः ज्येष्ठ लेखा परीक्षक एवं कनिष्ठ लेखा परीक्षक के क्रमशः 02 व 01 पदों को तत्काल समाप्त कर दिया जाय। उल्लेखनीय है पद भी रिक्त बताए गये हैं।
2. कनिष्ठ लेखा लिपिक पद की अब कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं है अतः इस पदनाम से निदेशालय में सृजित 01 पद को तत्काल समाप्त किया जाय। यह पद भी रिक्त बताया गया है।
3. सांख्यकीय सहायक के कुल 53 पद स्वीकृत (01 निदेशालय, 03 जिला व 49 परियोजना स्तर पर) हैं जबकि कार्यरत मात्र 02 हैं। चूंकि परियोजना स्तर पर मुख्य सेविका व बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद हैं तथा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां भी हैं जिन्हें नियत प्रारूप देकर सूचनाएं जनपद/निदेशालय स्तर पर एकत्र कर सांख्यकीय विवरण तैयार कराये जा सकते हैं, अतः परियोजना स्तर पर सांख्यकीय सहायक के 49 पदों को समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है। इसके स्थान पर अन्वेषक कम संगणक के जनपद स्तर पर कुछ अतिरिक्त पद रखे जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि अन्वेषक कम संगणक के कुल 20 पद ही स्वीकृत हैं (परियोजना स्तर पर मात्र 09 पद स्वीकृत)। ऐसी दशा में परियोजना स्तर पर सांख्यकीय सहायक

के 49 पद समाप्त कर अन्वेषक कम संगणक के पद 09 के स्थान पर केवल जनपद स्तर पर एक–एक अर्थात 13 अथवा अधिकतम 02–02 अर्थात कुल 26 पद रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।

4. स्टेनो ग्रेड–डी का मात्र 01 पद स्वीकृत है एवं वह भी रिक्त है। अतः इस पद को समाप्त करने पर विचार किया जाय।

5. लिपिक संवर्ग में प्रशासनिक अधिकारी स्तर पर जनपद व परियोजना स्तर पर स्वीकृत पद के सापेक्ष अधिक कार्मिक हैं, जैसा कि स्वीकृत कुल 16 पदों के सापेक्ष 35 कर्मी कार्यरत हैं। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी स्तर के सभी पद रिक्त हैं। परियोजना स्तर पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी स्तर के पद होना अनावश्यक प्रतीत होता है क्योंकि कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक व प्रधान सहायक स्तर के पद भी स्वीकृत हैं। साथ ही लिपिक संवर्ग में स्टाफिंग पैटर्न व्यवस्था लागू रखने पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

राज्य महिला आयोग में कुल 12 पद स्वीकृत तथा 10 कार्यरत बताए गये हैं। कनिष्ठ सहायक के 02 पद, आशुलिपिक के 02 पद तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर का 01 पद है। आशुलिपिक का केवल 01 पद रखते हुए कम्प्यूटर ऑपरेटर का 01 पद समाप्त किया जा सकता है।

(54) सैनिक कल्याण विभाग

सैनिक कल्याण विभाग अंतर्गत निदेशालय एवं जिला कार्यालयों में पदों की स्थिति निम्नानुसार सूचित की गई है :–

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	निदेशक/	01	01	–	
2.	उप निदेशक/	03	02	01	
3.	जि0सै0क0 अधिकारी/	14	11	03	
4.	मुख्य प्रशा0 अधिकारी/	01	7	01	
5.	वरिष्ठ प्रशा0 अधिकारी/	06	06	–	
6.	प्रशा0 अधिकारी/	07	07	–	
7.	मुख्य सहायक/	07	07	–	
8.	कनिष्ठ सहायक/	58	58	–	संविदा
9.	सहायक अधिकारी/	14	14	–	संविदा
10.	वैयक्तिक सहायक/	01	01	–	संविदा
11.	वाहन चालक/	18	18	–	17 संविदा अंतर्गत
12.	कल्याण कार्यकता/	18	18	–	13 संविदा अंतर्गत

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
13.	अनुसेवक/	17	17	–	13 संविदा अंतर्गत
14.	अर्दली/	16	16	–	संविदा अंतर्गत
15.	चौकीदार/	47	47	7	41 संविदा अंतर्गत
16.	सफाई कर्मी/	32	32	–	21 संविदा अंतर्गत
	योग	**260**	**255**	**05**	

वर्ष 2015–16 में वेतन सम्बन्धी कुल व्यय लगभग रू0 8.36 करोड़ सूचित किया गया है। सभी पद भरे होने की दशा में वेतन सम्बन्धी कुल व्यय लगभग रू0 8.52 करोड़ होता जो सातवें पुनरीक्षित वेतन अंतर्गत लगभग रू0 9.70 करोड़ होता है।

सैनिक कल्याण विभाग में निम्नलिखित बिन्दु युक्तिकरण/सही आकार की दृष्टि से विचार योग्य हैं :–

1. कनिष्ठ सहायक के पद अधिक हैं। प्रत्येक जनपद कार्यालय तथा निदेशालय में क्रमशः तीन एवं चार पदों के आधार पर कुल 46 पद उचित होंगे।

2. चतुर्थ श्रेणी में कुल 112 पद हैं जो कुल कर्मियों की संख्या 260 के सापेक्ष अधिक है। इन पदों को न्यूनतम वास्तविक आवश्यकतानुसार सीमित किया जाना चाहिए। चौकीदार, अर्दली व सफाई कर्मी के पदों की संख्या विशेष रूप से सीमित की जानी चाहिए।

(55) आबकारी विभाग

आबकारी मद राज्य सरकार के राजस्व प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। वर्ष 2014–15 में इस मद से राज्य सरकार को रू0 1386.66 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ जो स्वयं के कुल राजस्व प्राप्ति का लगभग 17.83 प्रतिशत है।

विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना अनुसार विभाग में कुल 575 पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष 388 पद कार्यरत हैं एवं शेष 187 पद रिक्त हैं। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सक्षिप्त विवरण अवलोकनीय है :–

क्र0	पदनाम	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त	अभ्युक्ति
1.	आयुक्त		01	01	–	भा0प्र0 सेवा संवर्ग
2.	अपर आयुक्त	8700/7600	03	03	–	7600 ग्रेड वेतन में, अ.आ. प्रशासन पद 8700 में विभागीय
3.	संयुक्त आबकारी आयुक्त	7600	04	04	–	
4.	उप आबकारी आयुक्त	6600	06	03	03	

क्र0	पदनाम	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त	अभ्युक्ति
5.	सहायक आबकारी आयुक्त	5400	23	21	02	
6.	प्राविधिक अधिकारी	5400	01	01	–	प्रतिनियुक्ति
7.	वित्त नियंत्रक	7600	01	01	–	वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग
8.	मुख्य प्रशा0 अधि0	5400	03	01	02	लिपिक संवर्ग
9.	वरिष्ठ प्रशा0 अधि0	4800	04	–	04	
10.	प्रशा0 अधि0	4600	04	–	04	
11.	प्रधान सहायक	4200	09	06	03	
12.	वरिष्ठ सहायक	2800	14	13	01	
13.	कनिष्ठ सहायक	2000	17	03	14	
14.	आबकारी निरीक्षक	4600	73	63	10	
15.	उप आबकारी निरीक्षक	2400	42	27	15	
16.	प्रधान आबकारी सिपाही	2000	61	46	15	
17.	आबकारी सिपाही	1900	190	137	53	आबकारी सिपाही के 24 पद भूतपूर्व सैनिक से नियत वेतन पर अतिरिक्त है जिसके सापेक्ष 16 कार्यरत हैं
18.	वैयक्तिक सहायक	4600	01	–	01	
19.	आशुलिपिक ग्रेड–1	4200	02	01	01	
20.	आशुलिपिक ग्रेड–2	2800	02	01	01	
21.	लेखाकार	4600	01	–	01	
22.	सहा0 लेखाकार	2400	15	–	15	
23.	वरिष्ठ संप्रेक्षक	4200	01	–	01	
24.	कनिष्ठ संप्रेक्षक	2000	01	–	01	
25.	वाहन चालक	2000	21	16	05	
26.	प्रयोगशाला सहायक	1800	01	–	01	
27.	अनुसेवक	1800	50	24	26	
	योग		**575**	**388**	**187**	

कार्यरत पदों के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2015–16 का वेतन सम्बन्धी व्यय लगभग रू0 15.93 करोड़ है। सभी पद भरे होने की स्थिति में यह व्यय लगभग रू0 23.61 करोड़ होता जो सातवें पुनरीक्षित वेतन अंतर्गत लगभग रू0 27 करोड़ बनता है।

प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कार्यवाही हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय हैं :–

1. राज्य सरकार द्वारा आडिट विभाग पृथक से सृजित है अतः वरिष्ठ सम्प्रेक्षक व कनिष्ठ सम्प्रेक्षक के पद तत्काल समाप्त किये जायें। कनिष्ठ सम्प्रेक्षक पद हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन वापस मंगाने हेतु तत्काल कार्यवाही की जाय।
2. लेखाकार व सहायक लेखाकार पदों का वेतनमान कदाचित त्रुटिपूर्ण है। इसे अनुमन्य वेतनमान अनुसार है या नहीं देखा जाय और यथोचित सुधार किया जाय।
3. प्राविधिक अधिकारी का एक पद स्वीकृत है जिस पर प्रतिनियुक्ति से तैनाती सूचित की है। परन्तु अब अवगत कराया है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति हो गयी है। यह पद प्रयोगशाला के लिए बताया गया है। प्रयोगशाला में प्रयोगशाला सहायक का भी एक पद स्वीकृत है और यह रिक्त है। प्रयोगशाला के इन दो एकल पदों को बनाए रखने की आवश्यकता/औचित्य की समीक्षा कर इन्हें बनाए रखने एवं सेवाएं अन्य विश्वसनीय प्रयोगशालाओं से प्राप्त करने पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
4. प्रवर्तन कार्यक्रम को सुदृढ़ करने एवं व्यवस्था को आटोमेशन करने पर विचार किया जाय।

(56) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में मुख्यालय के रूप में आयुक्त कार्यालय तथा क्षेत्रीय स्तर पर आपूर्ति शाखा, विपणन शाखा एवं वित्त शाखा से सम्बन्धित पदों की सूचनाएं निम्नानुसार उपलब्ध कराई गई हैं :–

अ) मुख्यालय :

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	आयुक्त	01	01	–	भा0प्र0सेवा संवर्ग
2.	अपर आयुक्त	02	01	01	पी0सी0एस0 संवर्ग
3.	संयुक्त आयुक्त/7600	02	01	01	
4.	उपायुक्त/6600	01	01	–	
5.	मुख्य विपणन अधिकारी/6600	01	–	01	
6.	क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/ 4200	02	01	01	
7.	वैयक्तिक सहायक/4200	01	–	01	
8.	प्रशासनिक अधिकारी–1/ 4200	01	–	01	

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
9.	मुख्य सहायक/2800	03	–	03	
10.	सहायक लेखाकार/2800	01	–	01	
11.	आशुलिपिक/2400	04	–	04	
12.	प्रवर सहायक/1900	03	–	03	
13.	कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर/1900	05	02	03	
14.	वाहन चालक/1900	01	–	01	
15.	दफ्तरी/1400	01	–	01	
16.	अनुसेवक/1800	08	–	08	
	योग	**37**	**7**	**30**	

ब) आपूर्ति शाखा :

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	उपायुक्त/6600	03	03	–	
2.	जिलापूर्ति अधिकारी/5400	13	05	18	
3.	क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी (ए0आर0ओ0)/4600	61	50	11	
4.	पूर्ति निरीक्षक/4200	240	141	99	
5.	मुख्य सहायक/2800	15	–	15	
6.	सहायक लेखाकार/2800	13	–	13	
7.	आशुलिपिक/2400	15	–	15	
8.	कनिष्ठ सहायक/2000	150	65	85	
9.	वाहन चालक/2000	15	12	3	
10.	दफ्तरी/1800	14	1	13	
11.	अनुसेवक/1800	15	5	10	
12.	चतुर्थ श्रेणी/1800	191	96	95	
	योग	**745**	**378**	**367**	

स) विपणन शाखा :

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	सम्भागीय खाद्य नियंत्रक	02	02	–	
2.	सम्भागीय विपणन अधिकारी/5400	02	–	02	
3.	उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/4200	07	–	07	
4.	वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/ 4200	47	26	21	
5.	विपणन निरीक्षक/2800	126	67	59	
6.	मुख्य सहायक/2800	06	–	06	
7.	प्रवर सहायक/2400	10	–	10	
8.	कनिष्ठ सहायक/2000	37	28	09	

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
9.	आशुलिपिक/2400	04	–	04	
10.	गोदाम चौकीदार/1800	42	15	27	मृत संवर्ग
11.	वाटर मैन/1800	02	–	02	मृत संवर्ग
12.	स्वच्छक/1800	02	–	02	मृत संवर्ग
13.	दफ्तरी/1800	02	–	02	मृत संवर्ग
	योग	**379**	**152**	**227**	

द) वित्त शाखा :

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	वित्त नियंत्रक/8700	01	01	–	वित्त सेवा संवर्ग
2.	सम्भागीय वरि0 वित्त अधि0/6600	02	02	–	वित्त सेवा संवर्ग
3.	सहायक लेखाधिकारी/4800	04	04	–	लेखा संवर्ग
4.	लेखाकार/4200	09	01	08	
5.	ज्येष्ठ लेखाकार/4200	07	01	06	
6.	लेखा परीक्षक/2800	10	–	10	
7.	सहायक लेखाकार/2800	13	–	13	
8.	आशुलिपिक/2400	01	–	01	
9.	कनिष्ठ सहायक/2000	05	–	05	
10.	अनुसेवक/1800	06	01	05	
	योग	**58**	**10**	**48**	

उक्त सूचित विवरणानुसार दिनांक 01.04.2016 की स्थिति अनुसार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में कुल 1219 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 547 कार्यरत व 672 रिक्त हैं।

उक्त के अतिरिक्त राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम भी स्थापित/कार्यरत हैं जिनमें पदों से सम्बन्धित सूचना निम्नवत् संज्ञान में आई है:-

राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग :

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	अभ्युक्ति
1.	अध्यक्ष	01	उच्च न्यायालय का न्यायाधीश (सेवानिवृत्त/कार्यरत)
2.	सदस्य (पूर्णकालिक)	02	मनोनीत
3.	रजिस्ट्रार/10000	01	न्यायिक सेवा से
4.	निजी सचिव/	01	
5.	वैयक्तिक सहायक/	02	
6.	आशुलिपिक/	01	
7.	रीडर/	01	
8.	नाजिर/	01	
9.	सहायक लेखाकार/	01	
10.	रिकार्ड कीपर (एल0डी0सी0)/	01	

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	अभ्युक्ति
11.	कनिष्ठ सहायक/	02	
12.	चालक	01	
13.	अनुसेवक/चौकीदार/	03	
14.	सफाई कर्मचारी/	01	
	योग	**19**	

जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम :

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	अभ्युक्ति
1.	अध्यक्ष	13	नियत वेतन
2.	सदस्य	26	नियत वेतन
3.	आशुलिपिक/	13	
4.	कम्प्यूटर ऑपरेटर/प्रवर सहायक/	13	
5.	कनिष्ठ सहायक/	13	
6.	अनुसेवक/	17	
7.	चौकीदार/सफाई कर्मचारी/	04	
	योग	**99**	

वित्तीय वर्ष 2015–16 में वेतन सम्बन्धी कुल व्यय भार लगभग रू0 26.47 करोड़ सूचित किया गया है। सभी पद भरे होने की दशा में यह व्यय लगभग रू0 59 करोड़ होता जो सातवें पुनरीक्षित वेतन अनुसार लगभग रू0 67.85 करोड़ होता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत सब्सिडी व्यय लगभग रू0 12.52 करोड़ के अतिरिक्त अटल खाद्यान्न योजना में सब्सिडी व्यय कदाचित ए0पी0एल0 श्रेणी हेतु लगभग रू0 132.41 करोड़ एवं शक्कर वितरण योजना में परिवहन व टैक्स भुगतान हेतु सब्सिडी व्यय लगभग रू0 23.94 करोड़ सूचित किया गया है। स्पष्ट है कि अटल खाद्यान्न योजना को आगे जारी न रखने और केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत योजना चालित करने से लगभग रू0 132.41 करोड़ वार्षिक बचत हो सकेगी जबकि शक्कर वितरण में टैक्स व परिवहन व्यय का भुगतान उपभोक्ताओं से लेने की दशा में लगभग रू0 23.94 करोड़ की भी बचत हो सकेगी। इन बचतों को अन्यत्र पूंजीगत कार्यो/आय वृद्धि करने वाली योजनाओं में व्यय किया जाने की स्थिति हो सकेगी।

विधिक माप विज्ञान विभाग में पदों की स्थिति निम्नानुसार संज्ञान में आई है :–

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	अभ्युक्ति
1.	नियंत्रक	01	पी0सी0एस0 संवर्ग से
2.	उप नियंत्रक	01	
3.	सहायक नियंत्रक ग्रेड–1/ 5400	01	
4.	सहायक नियंत्रक ग्रेड–2/	01	
5.	ज्येष्ठ निरीक्षक/	13	

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	अभ्युक्ति
6.	निरीक्षक	16	
7.	अन्वेषक/संगणक	04	
8.	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2	01	
9.	मुख्य सहायक	03	
10.	प्रवर सहायक	08	
11.	कनिष्ठ सहायक	19	
12.	आशुलिपिक कम कम्प्यूटर ऑपरेटर	02	
13.	सहायक लेखाकार	03	
14.	चालक	02	
15.	अनुसेवक	02	
16.	प्रयोगशाला परिचर/ संदेशवाहक	22	
17.	हेल्पर	02	
18.	चौकीदार	01	
	योग	**102**	

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (आपूर्ति शाखा) कर्मचारी संघ, उत्तराखण्ड प्रदेश द्वारा समिति को अवगत कराया है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में समान परिस्थितियों में कार्य करने के बावजूद विभाग में दो अलग–अलग शाखाओं, आपूर्ति एवं बाट माप, के अधिकारियों/कर्मचारियों को पृथक–पृथक कार्य सौंपे गये हैं। यह कहा है कि बाट–माप शाखा का मुख्यालय अस्तित्व में नहीं है और आपूर्ति शाखा के अधिकारी/कर्मचारी ब्लॉक/तहसील स्तर पर कार्यरत हैं जबकि बांट–माप शाखा के अधिकारी/कर्मचारी को दो से तीन जपदों का कार्य सौंपा गया है जिस कारण उपभोक्ताओं को सही गुणवत्ता एवं तौल की वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। उनका सुझाव है कि आपूर्ति शाखा एवं बाट–माप शाखा का एकीकरण किया जाना चाहिए। यह कहा है कि इससे राजस्व प्राप्ति भी बढ़ाई जा सकती है एवं घटतौली से उपभोक्ताओं को छुटकारा मिल सकेगा। उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी खाद्य आयुक्त के आदेश दिनांक 27.12.2014 की छायाप्रति तथा राजस्थान सरकार की अधिसूचनाएं दिनांक 7.12. 2015 की छयाप्रतियों अनुसार उन्होंने अपने सुझाव को युक्तिपूर्ण व उचित बताया है। खाद्य आयुक्त के उपरोक्त वर्णित आदेश अनुसार कतिपय प्रतिबंधों सहित आपूर्ति शाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों को बाट–माप सम्बन्धी कार्यों के लिए अधिकृत किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा भी आपूर्ति/रसद शाखा के अधिकारियों/कार्मिकों को विधिक माप सम्बन्धी कार्य हेतु नियुक्त किया गया है तथा उपभोक्ता मामलों के प्रमुख सचिव को नियंत्रक विधिक माप विज्ञान नियुक्त किया है।

उक्तानुसार प्राप्त सूचनाओं व सुझाव के क्रम में कार्यवाही हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

1. राज्य में खाद्य आपूर्ति शाखा की तरह विधिक बाट–माप को भी एक शाखा के रूप में खाद्य आयुक्त के अधीन, उन्हें नियंत्रक विधिक माप विज्ञान भी नियुक्त करते हुए, रखा जाय अर्थात नियंत्रक पद पर वर्तमान में पी0सी0एस0 संवर्ग की व्यवस्था के बजाय खाद्य आयुक्त को ही नियंत्रक बनाया जाय। साथ ही विधिक माप विज्ञान की एक–एक प्रयोगशाला गढ़वाल व कुमायूं हेतु रखते हुए उनके वर्तमान कार्यरत निरीक्षक संवर्ग सहित आपूर्ति शाखा के यथोचित स्तर तक के अधिकारियों/कर्मचारियों को बाट–माप सम्बन्धी कार्य हेतु अधिकृत/नियुक्त किया जाय ताकि राज्य हेतु एक ओर बाट–माप सत्यापन, मुद्रांकन व प्रवर्तन कार्य को प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जा सके तो दूसरी ओर एक अधिकारी/कर्मचारी अथवा एक दल जांच के दौरान खाद्य गुणवत्ता व घटतौली सहित सभी पहलुओं पर विधिक आधारित जांच व कार्यवाही कर सकें।

2. खाद्य आयुक्त कार्यालय (मुख्यालय) में मुख्य विपणन अधिकारी का पद रखने की आवश्यकता नहीं है जिसे समाप्त किया जा सकता है। यह पद रिक्त भी बताया गया है।

3. वित्त शाखा में लेखा परीक्षक के 10 पद है जो रिक्त हैं। चूंकि आडिट विभाग पृथक बन गया है, अतः इन पदों को समाप्त कर दिया जाय।

4. जिला पूर्ति अधिकारी के 13 में से 08 पद, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के 63 में से 12 पद (मुख्यालय सहित) एवं पूर्ति निरीक्षक के 240 में से 99 पद रिक्त सूचित किये गये हैं। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक पदों के सम्बन्ध में यथास्थिति मानक पुनर्निर्धारण कर न्यूनतम वास्तविक आवश्यकता अगणित करते हुए इन पदों की संख्या कार्यरत पदों की संख्या के सापेक्ष सीमित करने पर विचार किया जाय। उल्लेखनीय है कि पूर्ति निरीक्षक के प्रति जनपद औसत लगभग 18 पद हैं और कार्यरत पदों के सापेक्ष प्रति जनपद औसत लगभग 11 होता है जो विकासखण्डों की कुल संख्या के दृष्टिगत पर्याप्त संख्या प्रतीत होती है, अर्थात पूर्ति निरीक्षक के पदों की संख्या कार्यरत संख्या तक आसानी से सीमित की जा सकती है बल्कि प्रति जनपद औसत 10 पद रखने पर विचार किया जा सकता है।

5. आपूर्ति शाखा में ही दफ्तरी के 14 पद हैं एवं कार्यरत 01 हैं। यह पद समाप्त कर दिये जायें क्योंकि औचित्य नहीं रहा है। अनुसेवक के 15 पदों के सापेक्ष 05 व चतुर्थ श्रेणी में 191 पदों के सापेक्ष 96 कार्यरत हैं। इन पदों की संख्या कार्यरत की संख्या तक सीमित किया जा सकता है। इसी प्रकार कनिष्ठ सहायक के 150 पदों के सापेक्ष 65 कार्यरत हैं। इस पद पर भी कार्यरत की सीमा स्तर तक संख्या सीमित की जा सकती है।

6. विपणन शाखा में उप सम्भागीय विपणन अधिकारी के 07 पद हैं जो सभी रिक्त हैं। वरिष्ठ विपणन निरीक्षक के 47 में से 26 पद व विपणन निरीक्षक के 126 में से 67 पद कार्यरत बताए गये हैं। उप सम्भागीय विपणन अधिकारी की पद संख्या 04, वरिष्ठ विपणन निरीक्षक पद की संख्या 28–30 एवं विपणन निरीक्षक पद की संख्या 80–90 तक रखने हेतु न्यूनतम वास्तविक आवश्यकता का आंकलन करते हुए पदों को सीमित करने पर विचार किया जाय। दफ्तरी के पद इस शाखा में भी हैं जिन्हें समाप्त किया जाना चाहिए।

7. वित्त शाखा में ज्येष्ठ लेखाकार के 07 पद (01 कार्यरत) बताए हैं। ज्येष्ठ लेखाकार का कोई पदनाम प्रचलित नहीं है, अतः इस पद को समाप्त किया जाय। सम्भागीय वित्त अधिकारी के अतिरिक्त सहायक लेखाधिकारी के पद भी सृजित हैं। सम्भागीय वित्त अधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी में से एक पद को समाप्त किया जाय।

8. बाट–माप में अन्वेषक/संगणक पद को समाप्त किया जा सकता है।

(57) सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

विभाग में निम्नानुसार स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण सूचित किया गया है:–

क्र0	पदनाम	सृजित पद	कार्यरत	रिक्त	अभ्युक्ति
1.	महानिदेशक	1	1	–	भा0प्र0से0 संवर्ग
2.	निदेशक	1	–	1	पी0सी0एस0 संवर्ग
3.	अपर निदेशक	1	1	–	
4.	संयुक्त निदेशक	2	2	–	
5.	उप निदेशक	4	3	1	
6.	सहायक निदेशक	8	2	6	एक पद सहा0 निदे0 (तकनीकी) का जो रिक्त है।
7.	सम्पादक	1	–	1	आयोग को अधियाचन प्रेषित।
8.	सूचना अधिकारी/ जिला सूचना अधिकारी	32	7	25	मुख्यालय में 18 पदों के सापेक्ष 2 कार्यरत
9.	उप सम्पादक	1	1	–	
10.	अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी	14	13	1	
11.	फोटो/फिल्म अधिकारी	1	1	–	
12.	फीचर लेखक	01	–	1	अधियाचन आयोग को प्रेषित

क्र0	पदनाम	सृजित पद	कार्यरत	रिक्त	अभ्युक्ति
13.	व्यवस्थाधिकारी	1	1	–	
14.	वरिष्ठ वित्त अधिकारी	1	1	–	
15.	लेखाकार	3	–	3	
16.	सहायक लेखाकार	15	6	9	
17.	मुख्य प्रशा0 अधि0	4	–	4	
18.	वरिष्ठ प्रशा0 अधि0	6	6	–	पात्रता क्षेत्र में कार्मिक अनुपलब्ध
19.	प्रशा0 अधिकारी	6	8	–	लिपिक संवर्ग
20.	प्रधान सहायक	13	10	3	
21.	वरिष्ठ सहायक	21	2	19	
22.	कनिष्ठ सहायक	24	22	2	
23.	वैयक्तिक अधिकारी	1	–	1	
24.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	3	1	2	
25.	वैयक्तिक सहायक	4	–	4	
26.	लाइब्रेरियन	1	–	1	सेवा नियमावली विचाराधीन
27.	फोटोग्राफर	5	1	4	अधियाचन प्रेषित (अधीनस्थ चयन आयोग)
28.	अनुवादक	5	4	1	
29.	कैमरामैन	4	1	3	
30.	संवीक्षक	4	1	3	अधियान प्रेषित
31.	कनिष्ठ कैमरामैन	4	2	2	अधियाचन अ0च0आ0 को प्रेषित
32.	संरक्षक–रूम–डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	17	9	8	अधियाचन प्रेषित
33.	टैक्नीकल असिस्टैंट	29	20	9	
34.	वाहन चालक	22	11	11	
35.	अनुसेवक (2 पद आउटसोर्सिंग के अतिरिक्त)	23	8	15	
	योग	**285**	**148**	**139**	

वर्ष 2015–16 में वेतन सम्बन्धी व्यय लगभग रू0 6.90 करोड़ बताया है। यदि रिक्त पद भी भर जायें तो 2015–16 की दर पर लगभग रू0 6.48 करोड़ अतिरिक्त व्यय वेतन से सम्बन्धित होता। सातवें पुनरीक्षित वेतन अनुसार कुल वेतन व्यय भरे पदों के सापेक्ष लगभग रू0 7.90 करोड़ तथा सभी पद भरे होने की स्थिति में लगभग रू0 15.40 करोड़ आंकलित होता है जिसमें वेतन वृद्धि, ए0सी0पी0 व प्रोन्नति के कारण वर्ष दर वर्ष और वृद्धि होगी।

पदों एवं कार्यरत कर्मचारियों सहित रिक्त पदों आदि सम्बन्धी प्राप्त सूचना के दृष्टिगत निम्नलिखित बिन्दु विचार योग्य हैं :–

1. महानिदेशक एवं निदेशक के एक–एक पद क्रमशः भा0प्र0 सेवा एवं प्रान्तीय सिविल सेवा संवर्ग के लिए सृजित होना सूचित किया गया है। यद्यपि निदेशक का पद रिक्त बताया गया है, तथापि केवल निदेशक का एक ही पद रखा जा सकता है एवं तैनाती भा0प्र0 सेवा अथवा प्रान्तीय सिविल सेवा संवर्ग में से कहीं से भी की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि अपर निदेशक का भी एक ही पद स्वीकृत है जो कार्यरत भी है।
2. सहायक निदेशक के 10 पद एवं सहायक निदेशक (तकनीकी) का एक पद, इस प्रकार 11 पद सृजित हैं जबकि सहायक निदेशक स्तर पर 2 ही पद कार्यरत हैं। अतः सहायक निदेशक के पदों को अधिकतम 4–5 रखा जाय तथा सहायक निदेशक (तकनीकी) का पृथक पद सृजित होने का औचित्य सुस्पष्ट होना चाहिए और यदि औचित्य है तो भी वाह्य सेवा/आउटसोर्सिंग से व्यवस्था की जानी चाहिए।
3. सूचना अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी के 31 पद सृजित हैं एवं 7 कार्यरत हैं। इस पद की कुल संख्या को सीमित करने हेतु समीक्षा कर वास्तविक आवश्यकता का आंकलन करते हुए कम (लगभग 15–16) किया जा सकता है। अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी के भी 14 पद सृजित हैं जिसके सापेक्ष 13 पद कार्यरत हैं। स्पष्ट है कि वर्तमान में जनपदों में अतिरिक्त सूचना अधिकारी ही कार्य देख रहे हैं। यह भी विचार किया जा सकता है कि जिला सूचना अधिकारी का पद केवल बड़े एवं महत्वपूर्ण जनपदों में (अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी के पद सहित) रखा जाय एवं शेष जनपदों में अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी का ही पद रखा जाय।
4. सम्पादक एवं उप सम्पादक के एक–एक पद सृजित हैं। सम्बन्धित कार्य को अन्य पदों से अथवा वाह्य सेवा/आउटसोर्सिंग से कराये जाने पर विचार किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि सम्पादक पद पर सीधी भर्ती होती है तथा उप सम्पादक पद की कोई सेवा नियमावली भी नहीं है।
5. कनिष्ठ सहायक एवं अनुसेवक के क्रमशः 01 एवं 02 पद अतिरिक्त रखे गये हैं। इन्हें तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए।
6. एकल पदों से सम्बन्धित सेवाएं वाह्य सेवा से प्राप्त करने और तदक्रम में इन पदों को समाप्त करने पर विचार किया जाय।
7. लिपिक संवर्ग एवं आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक संवर्ग में स्टाफिंग पैटर्न की अनुमन्यता पर पुनर्विचार किया जाय क्योंकि ए0सी0पी0 व प्रोन्नति के लाभ के अतिरिक्त स्टाफिंग पैटर्न की सुविधा सबको प्राप्त नहीं है।